लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

[खंड 55 में अंक 51 से 60 तक हैं
Vol. LV contains Nos. 51 to 60]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 60—शनिवार, 14 मई, 1966/24 वैशाख, 1888 (शक)

No. 60—Saturday, May 14, 1966/Vaishakha 24, 1888 (Saka)

अल्प सूचना प्रश्न / SHORT NOTICE QUESTIONS

	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
33	भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी	Employees of the Food Corporation of India . . .	8655–57
34	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में सुरक्षा स्थिति	Security Position on the North East Frontier Railway .	8657–61
	विधेयक पर रायें	Opinions on Bills .	8661
	विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re : Point of Privilege	8661
	राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha .	8661–62
	नियम समिति—	Rules Committee—	
	तीसरा प्रतिवेदन	Third Report .	8662
	सभा का कार्य	Business of the House .	8662–64
	योजना मंत्री की संयुक्त राज्य अमरीका तथा कानडा यात्रा के संबंध में वक्तव्य के बारे में	Re : Planning Minister's Statement on his Visit to U.S.A. and Canada	8665
	पुलिस द्वारा लखनउ में श्री राम सेवक यादव के साथ किये गये कथित दुर्व्यहार के बारे में	Re : Alleged Ill-Treatment metted out to Shri Ram Sewak Yadav by Police at Lucknow .	8665–66
	उडीसा विधान सभा (कार्यावधि का बढ़ाया जाना) विधेयक—	Orissa Legislative Assembly (Extension of Duration) Bill—	
	विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to Consider—	
	श्री गोपाल स्वरूप पाठक	Shri G. S. Pathak	8666
	खंड 2 और 1	Clause 2 and 1 . .	8667–68
	पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में—	Motion to Pass, as amended—	
	श्री गोपाल स्वरूप पाठक	Shri G.S. Pathak	8668
	वर्तमान पंजाब राज्य के पुनर्गठन के बारे में गृह-कार्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत हुआ—	Motion Re: Statement of Home Minister on Reorganisation of the Present State of Punjab—*Adopted*—	

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री गजराज सिंह राव	Shri Gajraj Singh Rao .	8668–69
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee . .	8669–70
श्री गु० सिं० मुसाफिर	Shri G. S. Musafir . .	8670
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	8670–71
श्री हेम राज	Shri Hem Raj . . .	8672
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती	Shri Jagdev Singh Siddhanti	8672
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa .	8672–73
श्री अमरनाथ विद्यालंकार	Shri A. N. Vidyalakankar .	8673–74
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia .	8674
श्री नन्दा	Shri Nanda . . .	8675–76
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri .	8676–78
एशियन डेवेलपमेंट बैंक विधेयक—	Asian Development Bank Bill—	8678–80
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat . .	8685–86
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee . .	8680–82
श्री श्यामलाल सर्राफ	Shri Sham Lal Saraf .	8682
श्री तन सिंह	Shri Tan Singh . .	8682–83
श्री मुथिया	Shri Muthiah . . .	8683–84
श्री म० ना० स्वामी	Shri M. N. Swamy .	8684
श्री व० बा० गांधी	Shri V. B. Gandhi .	8684–85
खंड 2 से 7 तथा 1	Clauses 2 to 7 and 1	8686
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to Pass—	
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat	8686
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee .	8687
दिल्ली प्रशासन विधेयक—	Delhi Administration Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	Motion to Consider, as reported by Joint Committee—	
श्री हाथी	Shri Hathi . .	8687
क्षेत्रों के नागरीयकरण के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-hour Discussion Re: Urbanisation of Areas—	
श्री ही० ना० मुकर्जी	**Shri H. N. Mukerjee . .**	**8687–88**
श्री अशोक मेहता	**Shri Asoka Mehta . .**	**8688–89**

लोक-सभा
LOK SABHA

शनिवार, 14 मई, 1966/24 वैशाख, 1888 (शक)

Saturday May 14, 1966/Vaisakha 24, 1888 (*Saka*).

लोक-सभा ग्यारह बजे सभवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTIONS

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी

+

33. **श्री रंगा :**
श्री कपूर सिंह :
श्री प० ह० मील :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री वारियर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बूटा सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के 21,000 कर्मचारियों को सरकारी सेवा से त्याग-पत्र देने और निगम की सेवा अपनाने के लिये कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों के कोई अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुये है और इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगें स्वीकार न किये जाने के परिणामस्वरूप कर्मचारियों ने 4 मई, 1966 से भूख हड़ताल आरम्भ कर दी है और इससे स्थिति और गम्भीर हो गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) खाद्य विभाग के कर्मचारियों को भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित करने की शर्तों पर सरकार विचार कर रही है और वास्तव में खाद्य विभाग के किसी भी कर्मचारी को सरकारी सेवा से त्याग पत्र देने के लिये नहीं कहा गया है ।

(ख) खाद्य विभाग के कर्मचारियों की स्टाफ एसोसिएशनों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं। इन अभ्यावेदनों में उठाई गयी मुख्य मुख्य बातों पर स्टाफ एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ 19 मार्च, 1966 को हुई बैठक में चर्चा की गयी थी और अब उन पर भारतीय खाद्य निगम के परामर्श से विचार हो रहा है।

(ग) प्रश्न के उत्तर के भाग (ख) को देखते हुये सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांग को न सुनने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह कहना भी ठीक नहीं है कि 4 मई, 1966 से कर्मचारियों ने भूख हड़ताल कर रखी है। केवल मद्रास के क्षेत्रीय खाद्य निदेशालय के कर्मचारियों ने 4 मई, 1966 को अपनी मांगों के समर्थन में एक दिन का सांकेतिक उपवास किया था।

श्री रंगा : मैं समझता था कि मेरे माननीय मित्र अपने सहयोगी श्री गोविन्द मेनन के उस उत्तर का हवाला देंगे जिसमें उन्होंने कुछ समय पहिले कहा था कि सरकार ने यह अनुभव किया कि भारतीय खाद्य निगम अधिनियम मे कोई त्रुटि रह गई और उसे संशोधित करने का विचार है। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या सरकार ने विधेयक प्रस्तुत कर लिया है और वह विधेयक को सभा के सामने कब रख रहे हैं? इस अधिनियम में संशोधन होने तक, जो लोग निगम की सेवा में जाना चाहें उनको यह आश्वासन मिल सके कि वही सुविधायें उनको मिलती रहेंगी जो उन्हें सरकारी नौकरी में मिलती थी तथा सरकार उन से सरकारी सेवा से इस्तीफा दिलाने के लिये कोई अन्तिम कार्यवाही नहीं करेगी।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं पहिले ही कह चुका हूँ कि सम्पूर्ण विषय विचाराधीन है। मुख्य कठिनाई संविधान के अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों की सेवा-संरक्षण की है। कर्मचारी यह मांग कर रहे हैं कि जब वे खाद्य निगम में खाद्य निगम के ही कर्मचारी बनने जा रहे है तो उन्हें अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत सभी संरक्षण मिलने चाहिये। यह विषय विचाराधीन है। मुझे 30 मई तक निर्णय होने की आशा है। परन्तु मैं आश्वासन दे सकता हूँ कि हमारा इरादा कर्मचारियों को खाद्य निगम में स्थानान्तरित होने की शर्तों के सम्बन्ध में पूर्ण सन्तुष्ट करने का है।

श्री रंगा : इसके साथ ही उन्हें इस्तीफा देने को न कहा जाये।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जब तक कि हम निर्णय नहीं लेते तथा उनके साथ कोई समझौता नहीं करते।

श्री स०मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि उनकी मांग है कि खाद्य विभाग की सम्पूर्ण सेवायें खाद्य निगम के नये पदों के साथ जोड़ी जायें और उन्हें छुट्टी, भविष्य निधि तथा पेन्शन की सभी सुविधायें प्राप्त हों? यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह सब मान लिया गया है कि उनकी खाद्य विभाग की सेवाओं तथा वरीयता आदि सभी बातों को उनके खाद्य निगम मे जाने पर ध्यान में रखा जायेगा। मेरा विचार है कि सब कुछ तय हो गया है। प्रश्न केवल संविधान के अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत संरक्षण देने का है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या निगम के कर्मचारियों द्वारा निगम में पर्याप्त काम न मिलने के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की गई है? खाद्य निगम की अब तक की क्या उपलब्धियां हैं।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ये लोग अभी सरकारी सेवा में ही है और इसलिये उन्हें पर्याप्त काम न मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता . . . .

श्रीमती सावित्री निगम : वे कहते है, "हम सुस्त बैठे रहते हैं और कुछ काम नहीं है।"

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे खुशी है कि कम से कम एक निगम में काम मांगने की प्रवृत्ति शुरू हुई है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इस प्रश्न पर ध्यान दिलाने वाली सूचना के उत्तर में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कहा है कि वे कर्मचारियों के संगठनों से इस सम्बन्ध में आगे बातचीत करेंगे। क्या बातचीत हो गई है तथा अभ्यावेदन पर उचित विचार हुआ है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार विचार-विमर्श हो रहा है तथा मामला 30 मई को खाद्य निगम की निदेशक बोर्ड की बैठक में रखा जायेगा ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : संगठन के कर्मचारियों की सेवा को चालू रखने की प्रत्याभूति (गारण्टी) देने के अतिरिक्त क्या ऐसे लोगों को, खाद्य निगम के नये पदों पर रखने का सरकार का विचार है जिनके सम्बन्ध में कोई विशेष प्राविधिक कठिनाई न हो ताकि काम यथासम्भव सुचारू रूप से चल सके ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हां, उस पर भी विचार किया जायेगा । लेकिन जो कार्य आजकल खाद्य विभाग कर रहा है वे सभी कार्य अब खाद्य निगम अपने हाथ में लेने जा रहा है । अतः इन कार्यों को जो लोग करते आ रहे थे उन्हें भी निगम को लेना होगा । खाद्य विभाग ने इस व्यवहारिक पहलू पर—कि क्या वे काम करने मे दक्ष हैं—तभी विचार हो गया होगा जब उनकी नियुक्ति की गई थी । उस पहलू पर भी विचार होगा ।

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या : मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि जब कि अभी खाद्य निगम ने खाद्य विभाग के पूरे कर्मचारियों को ही जगह नहीं दी और खाद्य निगम दूसरे विभागों, उदाहरणार्थ राजस्व विभाग आदि से कर्मचारी ले रहा है । यदि ऐसा है तो क्या इससे खाद्य विभाग के कर्मचारियों के हितों की हानि नहीं होगी जब तक कि उन्हें खाद्य निगम में नहीं ले लिया जाता ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह सब एक आम खाद्य निगम प्रशासनिक संगठन बनाने के लिये किया जा रहा है । उसका इससे कोई संबन्ध नहीं, अब जैसे उदाहणार्थ ये खाद्य विभाग के कर्मचारी काम करने के लिये नियुक्त किये जाते हैं और खाद्य निगम कार्य अपने हाथ में लेता है तो खाद्य विभाग के सभी कर्मचारियों को भी खाद्य निगम में स्थानान्तरित करना पड़ेगा । इस प्रकार ये दो बिल्कुल भिन्न विषय हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : पहिले से ही कुछ सरकारी कर्मचारी निगम में कार्य कर रहे हैं और उनकी सेवाओं के बारे में अभी अन्तिम निर्णय लिया जाने को है । क्या सेवाओं की स्थिति के बारे में निर्णय होने पर वे लोग जो पहिले से ही निगम में है यदि चाहे तो फिर से सरकारी सेवामें आ सकते हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वास्तव में उन्हें वैकल्पिक छूट होगी कि वे सरकारी सेवा में रहे । यदि उनके द्वारा किये जाने वाले सारे कार्य निगम को सौंप दिये गये हों और सरकार को यह महसूस हो कि उनकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है तो असैनिक सेवा नियमों के अनुसार छंटनी पर विचार किया जायेगा ।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवें में सुरक्षा स्थिति

34. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पूर्वोत्तर रेलवे में, विशेषकर गोहाटी-लमडिंग-फरकाटिंग, लमडिंग-बदरपुर तथा उत्तर बंगाल सेक्शनों पर, सुरक्षा स्थिति के बारे में नवीनतम जानकारी है;

(ख) यदि हां; तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विद्रोही नागाओं तथा तोड़-फोड़ करने वाले अन्य तत्वों से पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में सुरक्षा को पैदा हुए खतरे के बारे में रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री के 27 अप्रैल, 1966 के वक्तव्य में सुझाये गये विभिन्न उपायों पर इस बीच क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) सूचना मिली है कि आधुनिक स्वचल हथियारों और अति विस्फोटक पदार्थों से लैस कुछ बदमाश जंगलों में घूम रहे हैं और शायद उनकी योजना तोड़-फोड़ की कारवाई करने की है ।

(ख) 29-4-1966 को 20-डाउन सवारी गाड़ी के डीमापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले लगभग 19.00 बजे पुलिस को तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय में एक स्टील ट्रंक मिला और उसमें से उसने 42 पौंड का एक प्लास्टिक विस्फोट पदार्थ बरामद किया। सेना के विशेषज्ञ ने उस विस्फोट पदार्थ को अपने कब्जे में ले लिया। जिस प्रतीक्षालय से स्टील ट्रंक बरामद हुआ था, उसमें 6 व्यक्ति पाये गये और उन्हें सन्देह में गिरफ्तार कर लिया गया। बराबर सतर्कता बरती जा रही है और स्थिति का सामना करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की गयी है और समय-समय पर की जाती रहेगी।

(ग) 27-4-1966 को मैंने अपने बयान में सुरक्षा सम्बन्धी जिन अतिरिक्त उपायों का जिक्र किया था, उन पर असम सरकार ने अमल किया है और असम सरकार को रेलवे सुरक्षा दल के जितने लोगों की जरूरत थी उतने लोग उसे दे दिये गये हैं। आसूचना संगठन को सुदृढ़ करने और एक विशेष जांच दस्ता कायम करने में राज्य सरकार की सहायता करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने भी कुछ उपाय किये हैं।

श्री लीलाधर कटकी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने ब्रह्मपुत्र पुल, रेलवे लाइन पर बने दूसरे बड़े पुलों तथा इस रेलवे के लुमडिंग बदरपुर भाग पर बनी सुरंगों की सुरक्षा के सम्बन्ध में क्या विशेष कदम उठाये हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसा आप जानते हैं कि वह एक महत्वपूर्ण पुल है तथा उसकी सुरक्षा के लिये पर्याप्त सुरक्षा कर्मचारी उसके ऊपर रखे गये हैं। जहां तक सुरंगों का सम्बन्ध है, वे लुमडिंग-बदरपुर भाग में 30 के करीब हैं और उनपर रेलवे को इन्जीनियरी विभाग निगरानी रखता है तथा समूचे रूप में वे सैनिक सुरक्षा के अधीन है।

श्री लीलाधर कटकी : जब मैं पिछले महिने की 24 ता० को रेलवे मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री के साथ लुमडिंग और डिफू पहुँचा तो मैंने देखा कि कुछ रेलवे कर्मचारी विस्फोट होने से मर गये, बहुतों के अंग-भंग हो गये तथा कुछ हमेशा के लिये अंगहीन हो गये। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सरकार ने अंगहीन कर्मचारियों के लिये तथा उनके परिवारों के भावी निर्वाह के लिये क्या क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की है ?

डा० राम सुभग सिंह : हमने रेलवे कर्मचारी के आश्रितों को 3000 रु० देने के आदेश भेज दिये हैं तथा जिनको मामूली चोटें आई हैं उन्हें उपयुक्त सहायता देने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जो लोग ऊस आक्रम्यक्षेत्र में रखे गये है ऊनके लिये आगे व्यवस्था की जा रही है तथा इस पर निर्णय होने जा रहा है और निश्चित राशि उसके बाद दी जायेगी।

श्री रा० बरुआ : सरकार 27 ता० तक आवश्यक कार्यवाही करने में कैसे असमर्थ रही ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसा आपको पता ही है इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य 27 ता० को सभा पटल पर रखा गया था। हम यहां एक दिन पहिले ही वापिस आये।

Shri Bibhuti Mishra : Is Railway Department chalking out some plan, taking into consideration the unsatisfactory condition of the Railways to safeguard the railway lines and tunnels, by stationing its security forces and intelligence men over there.

Dr. Ram Subhag Singh : After that day two battalions of R.P.F. have been posted over there. Two hill sections of Lumding Sapaikhati and Lumding-Damachara have been kept under Military Command. Security measures are also being taken up in collaboration and in supervision of Assam Government. Separate arrangement has been made for tunnels etc.

Shri Yashpal Singh : Are the explosives found there indigenous or of foreign make?

Dr. Ram Subhag Singh : As has already been informed the report regarding that explosive of 42 lbs. is as follows :

"प्लास्टिक का विस्फोटक पोलीथीन के 14 फीट लम्बे और 16 इंच चौड़े थैले में रखा था। इसके ऊपर छपा था बोटोर प्लास्टिक विस्फोटक 1957 सीए 2/3 एलबीएस/फीट" दुहरे स्वीच टी एण्ड पी नं० 10 लगे थे, दोनो चिपकने वाले प्लास्टर फीते से सुरक्षित थे 8" के नारंगी रंग के फ्यूज़ से दो डिटोनेटर्स से जुड़े हुये थे, जो फिर कार्डेक्स से जुड़े हुये थे। यह गन कौटन प्राइमर में जाता था जो प्लास्टिक विस्फोटक के अन्दर रखा था। विस्फोटक का वज़न 42 पौण्ड था। एक पिन्सर 'मेड इन चेकोस्लोवाकिया' स्विच चलाने के लिये बक्से के अन्दर मिला। दूसरे रौकेट लाँचर पर फ्रांस का चिन्ह था।

श्री हेम बरुआ : रेलवे मंत्री के द्वारा नागा-विद्रोहियों के सम्बन्ध में कमज़ोर नीति को छोड़ने के विचार को तथा प्रधान मंत्री ने सदन में जो कुछ कहा उसे भी ध्यान में रखते हुये क्या सरकार बतायेगी कि पुरुष, स्त्री तथा बच्चों की हत्याओं तथा तोड़फोड़ के कार्यों में नागा-विद्रोहियों का हाथ है?

(अ) क्या सरकार पुलिस या सेना के द्वारा इस समस्या को सुलझा रही है ?

(ब) क्या सरकार इन बदली हुई परिस्थितियों में तथा कथित नागा मंत्रियों के साथ नई दिल्ली में चल रही प्रधान मंत्री की बातचीत को समाप्त कर रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : जहां तक नीति का सम्बन्ध है, यह विभागों सहित पूरी सरकार की जिम्मेवारी है। जहां तक रेलवे के सम्बन्ध है, जैसे मेरे माननीय सहयोगी ने कहा है, हम हर प्रकार सभी रास्तों, मुसाफिरों, सुरंगों तथा पुलों की सुरक्षा के लिये जिम्मेवार हैं। मैं निश्चित हूँ कि हमें तैयार रहना चाहिये जबकि शान्ति-वार्ता स्थिति से बाहर हो गई है। शायद हमको यह आशा करनी चाहिये। यदि कुछ नहीं होता है तो बहुत अच्छा है, किन्तु हमें तैय्यार भी रहना चाहिये।

एक और बात भी ध्यान देने योग्य है। दूसरा बम पहिले से काफी बड़ा था तथा 42 पौंड का विस्फोटक जिसका डा० राम सुभग सिंह ने ज़िक्र किया तीनों में सबसे बड़ा था। इसलिये दबाव बढ़ाने की कोई नीति हो सकती है और सरकार को इसका मुकाबला करने के लिये तैय्यार रहना चाहिये।

श्री हेम बरुआ : रेलवे मंत्री ने कहा है कि सरकार को सतर्क रहना चाहिये। मैं प्रश्न करता हूं, तथा यहां वैदेशिक कार्यमंत्री तथा गृह मंत्री है।

अध्यक्ष महोदय : दूसरों को मैं इस वक्त नहीं पूछ सकता।

श्री हेम बरुआ : उन्हें सभा की सहायता करनी चाहिये। गृह मंत्री कह सकते हैं। उनका मंत्री मंडल में दूसरा स्थान है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

Shri Shiva Narayan : I would like to know whether (a) the big trunks seized were booked or not (b) the government will kindly make necessary arrangements for felling the big forests that are spreading with in a diameter of 2 to 3 miles ?

Dr. Ram Subhag Singh : (a) Those boxes were brought by a passenger who could not be caught and therefore there is no information of their being booked.

(b) So far as the felling of the forest is concerned according to the policy decided in 1963 forests have been cut in many places and in a few more places felling of trees remains to be undertaken.

श्री भागवत झा आजाद : जैसे कि रेल मंत्री ने ठीक ही कहा है कि वे रास्ते, पुलों तथा संलग्न क्षेत्रों की निगरानी रख सकते हैं, किन्तु उन नागाओं के विषय में क्या स्थिति है जो जंगलो में स्वचालित शस्त्रोंको

ले कर घूमते हैं। क्या श्री पाटिल सरकार को 'होने और न होने' की स्थिति से बचाने के बारे में तथा यह परामर्श देने में कि वफादार और शान्तिप्रिय नागाओं के लिये 'विद्रोही नागाओं के विरुद्ध शस्त्र उठाना या मानसिक कष्ट सहना उत्तम है'। यदि इनमें से बादकी वाली स्थिति है तो क्या सरकार ने उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का निश्चय कर लिया है? क्या स्थिति है?

श्री स० का० पाटिल : रेलवे मंत्रालय, वैदेशिक कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा आसाम सरकार में पूर्ण मतैक्य है। ये सभी एक होकर कार्य कर रहे हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, I would like to know that after this terrible accident, the news papers have published that some nagas have been caught wandering in suspicious condition near the station and some explosives have been seized from them. Have the persons caught divulged some mystery? If so, what is that?

Dr. Ram Subhag Singh : As I have already stated while replying the original question that 6 persons have been caught and they are being examined by the Police and Military authorities. These persons have been caught in Dimapur and the enquiry is still going on.

श्री हेम बरुआ : क्या गारंटी है कि आसाम के मुख्य मंत्री पुलिस को उन्हें छोड़ने की आज्ञा नहीं देंगे जैसा उन्होंने पहिले भी किया?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

Shri Madhu Limaye : He has stated in the written statement :

"लमडिंग और डिफू के बीच में तथा लमडिंग और सिमालगुरी के बीच में रास्तों, पुलों तथा सुरंगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी सेना की है।"

He further stated that the rest of the responsibility is that of the State Government. After discussions with State government they have entered into an agreement on four points. First of these pertains to locating of the centres, second is to augment the power of Policemen.....

Mr. Speaker : All this is in the Statement.

Shri Madhu Limaye: I would like to know how many of these have been taken into consideration? You know that the Old Peace Mission is no more and new Peace Mission is coming into existence. What is the policy of Mr. Chaliha regarding that? I would like to know how the Assam government is considering these points.

Dr. Ram Subhag Singh : When I was in Assam on 24th, 25th and the talks I had with the Chief Minister, other Ministers and officers I could gather that action has been taken on all of these four points. The peace Mission which came into existence now as referred to by the hon. Member, is a commission that has been announced. Whatever it may be but what we have decided all that will have to be complied with.

श्री बसुमतारी : श्री माइकल स्कॉट के निष्कासन के बाद क्या रेलवे लाइन पर होने वाली घटनाएँ घटी हैं या बढ़ी हैं?

डा० राम सुभग सिंह : मैं पूरी स्थिति का विवरण दे चुका हूँ। मनीपुर रोड और दीमापुर स्टेशन के पास 142 पौण्ड का प्लास्टिक विस्फोटक पाया गया। मैं स्थिति का पूर्ण विवरण दे चुका हूँ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : मंत्री महोदय ने कहा है कि सड़कों और पुलों की सुरक्षा की जिम्मेवारी सेना की है किन्तु यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी रेलवे की है। रेलवे प्रशासन ने रेलों पर सशस्त्र सुरक्षा को दृढ़ बनाने की क्या व्यवस्था की है ?

डा० राम सुभग सिंह : पहला मुद्दा जिसपर हम सहमत हुये हैं कार्यान्वित हो रहा है। यात्रियों की सुरक्षा के लिये पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है तथा इस बमका और लोगों का पकड़ा जाना इस व्यवस्था के कारण ही सम्भव हुआ है। हम इसका अनुसरण करते रहेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री पाटिल के कथन से यह पता लगता है कि यह एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र था जिसकी जड़े बड़ी गहरी थीं क्योंकि दूसरे और तीसरे विस्फोट पहिले से बड़े हैं। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या विदेशों का भी इसमें हाथ है तथा क्या पाकिस्तान से इन क्षेत्रों मे चोरी छिपे शस्त्र पहुँचाये गये हैं तथा क्या व लोग विदेशियों के द्वारा तोड़ फोड़ के कार्यों के लिये प्रशिक्षित किये गये हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : विदेशी सामान जो पाया गया है वह हवाई जहाज से नहीं गिराया जा सकता था। सभी सामान पड़ोसी देश से ही आया होगा। हम यह अवश्य अनुभव करते हैं कि वह सब पाकिस्तान से ही आया होगा।

विधेयक पर रायें
OPINIONS ON BILLS

श्री अ० सि० सहगल (जंजगीर) : श्रीमान्, मैं भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों में स्थित सिख गुरुद्वारों के सुप्रबन्ध का तथा सत्संबंधक विषयों की जांच करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक, जिसे 3 दिसम्बर, 1965 को सभा के निदेश से उस पर राय जानने के लिये परिचालित किया गया था, संबंधी पत्र संख्या 3 सभा-पटल पर रखता हूं।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE : POINT OF PRIVILEGE

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, My Question of privilege should have been taken up first.

Mr. Speaker : It should have been sent earlier.

Shri Madhu Limaye : I had given it before 10-45 AM, which is the prescribed time.

Mr. Speaker : When I have not seen it and not given consent how can it be taken up? It could be taken up only after it has been examined.

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा से प्राप्त इन संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा ने अपनी 13 मई, 1966 की बैठक में लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमति प्रकट की है कि एक सदस्य के सेवानिवृत्त होने के कारण हुई रिक्तता के लिये पेटेंट (एकस्व) विधेयक, 1965 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के लिये एक सदस्य नियुक्त किया जाये और उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये श्री दलपत सिंह को नाम-निर्दिष्ट किया है।

(दो) कि राज्य सभा ने अपनी 12 मई, 1966 की बैठक में राष्ट्रपति के 1966 के अधिनियम संख्या 3 अर्थात् केरल विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1966 में रूपभेद करने के लिये लोक सभा द्वारा पास किये गये संकल्प से सहमति प्रकट की है।

नियम समिति
RULES COMMITTEE

तीसरा प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : श्रीमान्, मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 331 के उप नियम (2) के अन्तर्गत नियम समिति का तीसरा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूँ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्रीमान्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैंने दूसरे प्रतिवेदन के संबंध में संशोधन रखे थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रतिवेदन अन्तिम होगा। क्योंकि अन्यथा मुझे पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह अन्तिम प्रतिवेदन होगा।

श्री हरि विष्णु कामत : तब तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ समझा जाये।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : श्रीमान्, आपकी अनुमति से, मैं 16 और 17 मई, 1966 की सभा द्वारा लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं :

(1) आज की विषय सूची में अनिष्पन्न किसी भी सरकारी कार्य पर विचार।

(2) व्यापारिक नौवहन (संशोधन) विधेयक, 1966 पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार तथा उसे पारित करना।

(3) सरदार कपूर सिंह तथा अन्य सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर विशेषाधिकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन पर विचार।

(4) मंत्रियों के निवास-स्थान (संशोधन) नियम, 1965 और मंत्रियों के (भत्ते चिकित्सा तथा अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1966 में रूपभेद के लिये प्रस्तावों जिनकी सूचना श्री हरि विष्णु कामत द्वारा दी गई है, पर विचार।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : हम चाहते हैं कि श्री अशोक मेहता द्वारा उनकी अमरीका यात्रा के संबंध में एक वक्तव्य दिया जाये जिसके संबंध में पूर्व सूचना हम ने दे रखी है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : On the last day one hour should be set apart for members to raise any point they like to move and every member might be given five minutes each to speak thereon.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्रीमती चक्रवर्ती की बात का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि गृह-कार्य मंत्री श्री नन्दा सचिवालय के छंटनी किए गए कर्मचारियों के बारे में भी एक वक्तव्य दें।

इसके साथ साथ उन कर्मचारियों के बारे में भी कुछ बतायें जिनकी विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा छंटनी कर दी गई है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : योजना मंत्री द्वारा अपनी विदेश यात्रा के संबंध में इतनी देर से अपनी रिपोर्ट सभा को पेश करना और साथ ही यह कह देना कि क्योंकि अब सभा के अनिश्चित काल के लिये स्थगित होने में केवल 2 दिन शेष हैं इस लिये इस पर चर्चा न की जाये सभा के अधिकार की अवहेलना है और मैं आप से इस अधिकार की रक्षा चाहता हूं।

श्री शिकरे (मरमागोआ) : मैं श्री मधु लिमये के सुझाव का समर्थन करता हूं और इस समय मैं योजना मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा किये जाने का कड़ा विरोध करता हूं।

श्री मं० रं० कृष्ण (पेद्दपल्लि) : मैं चाहता हूं कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त की रिपोर्ट पर इसी सत्र में विचार किया जाये।

श्रीमती रेणुका राय (मालदा) : मैं इसका समर्थन करती हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान्, मैं ने एक प्रस्ताव की पूर्वसूचना पिछले अधिवेशन में दी थी परन्तु उस पर विचार नहीं किया गया। अब जबकि वैसे ही प्रस्ताव पर चर्चा की जाने वाली है तो आपकी अनुमति से पहले प्रस्ताव की सूचना मैं अब फिर देना चाहता हूं ताकि दोनों प्रस्तावों पर इकट्ठा विचार किया जाये।

अन्तरसत्रावधि में आप तथा राज्य सभा के सभापति की बातचीत में मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने कहा था कि जो समिति राज्य सभा के बजट पर विचार करने के लिये बनाई जायेगी उसमें लोक-सभा के ही सदस्य होंगे—यही हमारा निर्णय है अर्थात यह इस सभा का निर्णय है।

श्री के० डे० मालवीय (बस्ती) : मैं चाहता हूं कि योजना मंत्री के वक्तव्य पर इसी सत्र में विचार किया जाये ताकि चौथी योजना तैयार करने से पूर्व सरकार को हमारे विचार मालूम हो जायें।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : यद्यपि कल मैं ने कहा था कि योजना मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है परन्तु इसे ध्यान से पढ़ने के पश्चात् मैं समझता हूं कि इस पर चर्चा इसी सत्र में आवश्यक है।

Dr. Ram Manohar Lohia : So many loose strands have been left unconnected. First, there is the question of the country's area, Secondly doubts remain to be cleared about Shri Shastri's death and thirdly no Famine Code has been laid on the Table as ordered by you. We should not reduce this House to a Class room. I would therefore request you and the leader of the House to allow a discussion on all these issues.

श्रीमती सावित्री निगम (बांदा) : मितव्ययता के परिणाम स्वरूप बहुत से कर्मचारियों की छंटनी होने वाली है और यदि इसी सत्र में इस संबंध में कोई निर्णय न लिया गया तो कुछ राजनैतिक दल इस से अनुचित लाभ उठायेंगे। सरकार को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने की योजना के बारे में भी इसी सत्र में घोषणा करनी चाहिये। दूसरे अनावृष्टि के कारण बहुत से क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या विकट होती जा रही है। इस समस्या पर चर्चा के लिये भी कुछ समय नियत किया जाना चाहिये।

श्री जी० भा० कृपलानी (अमरोहा) : आश्चर्य है कि चौथी योजना के लिये इस बजट में उपबन्ध रखे गये हैं जबकि सभा में इस पर कोई चर्चा नहीं की गई। यह योजना मंजूरी के बिना ही आरंभ कर दी गई है।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : यद्यपि आधे घंटे की चर्चा के बारे में मेरी दो पूर्व सूचनायें यह कह कर लौटा दी गई हैं कि ऐसी बहुत सी पूर्वसूचनायें प्राप्त हो चुकी है परन्तु मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सोमवार को ही आधे घंटे की दो चर्चायें रखी गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाउंगा कि यह भेदभाव क्यों है।

श्री त्यागी (देहरादून) : मेरे विचार में श्री अशोक मेहता के वक्तव्य पर सभा द्वारा चर्चा की तो कोई आवश्यकता नहीं है परन्तु जैसा एक बार लोक लेखा समिति ने सिफारिश की थी कि सरकार को विदेशी ऋण लेने के मामले में सभा द्वारा कोई अधिकतम सीमा निश्चित करवानी चाहिये। मेरा सुझाव है कि यह कार्य अभी होना चाहिये।

Shri D. S. Patil (Yeotmal): As I had requested during the last session also, the Bill regarding area restriction for Adivasis should be introduced during this very session if not passed. The Minister concerned had also promised to do that.

Shri Sheo Narain (Bansi): I want that either no Member should be allowed to speak on the programme of work announced by the leader of the House or every Member should be given a chance to speak. I also want that the problems of our national language which have never been tackled so far should be solved by Government for ever and it should be given its full right.

श्री बसुमतारी (ग्वालपाड़ा): मैं जानना चाहता हूं कि अनुसूचित आदिम-जातियों के बारे में क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटाने संबंधी विधेयक इसी सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा अथवा नहीं ?

श्री सत्यनारायण सिंह : क्योंकि सभा में दो नये कार्य लिये जाने थे इसलिये मुझे घोषणा करनी थी परन्तु अब माननीय सदस्यों ने इतने अधिक सुझाव दिये हैं कि दो दिन में इन पर विचार करना संभव न होगा। श्री कामत की शिकायत के संबंध में कि बहुत सा विधान कार्य अनिष्पन्न रह जाता है और अगले सत्र तक स्थगित रखा जाता है, मुझे यही कहना है कि समय कम होता है और कार्य अधिक। परन्तु फिर भी हम सदा यही प्रयत्न करते हैं कि अधिक से अधिक कार्य निपटाया जाये।

श्री मेहता के वक्तव्य पर चर्चा के बारे में भी मैं यही कहूंगा कि समय कम है और यह चर्चा इसी सत्र में संभव न होगी परन्तु मैं अपने साथी से सलाह कर के जवाब दूंगा।

Mr. Speaker : As at present, many times before also the Congress Members have expressed themselves against my giving chance to opposition Members more than to those of the Congress Party after the programme re. Government Business for the ensuring week is announced. I want to make it clear that since this programme is that of the Government which means that of the Congress, therefore chance cannot be given to individual Congress Members. Otherwise, I always give chance to them according to rules. Therefore when two of them just now complained that they have not been given a chance to speak, I was pained.

श्री भागवत झा आजाद : यह ठीक है कि यह कार्यक्रम सरकार द्वारा रखा जाता है परन्तु मेरा सुझाव है कि इस संबंध में कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा होनी चाहिये। मेरे विचार में सदन के नेता को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : नहीं यह संभव नहीं है क्योंकि इस समिति का काम तो सरकारी कार्य के लिये समय नियत करना ही है।

योजना मंत्री की संयुक्त राज्य अमरीका तथा कनाडा यात्रा के संबंध में वक्तव्य के बारे में

RE : PLANNING MINISTER'S STATEMENT ON HIS VISIT TO U.S.A. AND CANADA

संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं सभा को यह सूचना देना चाहता हूं कि श्री मेहता से परामर्श करने के पश्चात् सरकार उनके वक्तव्य पर चर्चा करने के लिये तैयार है।

पुलिस द्वारा लखनऊ में श्री राम सेवक यादव के साथ किये गये कथित दुर्व्यवहार के बारे में

RE : ALLEGED ILL-TREATMENT METED OUT TO SHRI RAM SEWAK YADAV BY POLICE AT LUCKNOW

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): I am raising a point under rule 377, regarding the arrest of Sarva Shri Ram Sewak Yadav, Raj Narain and Shrimati Sarla Bhadavria. These arrests have been made under section 7 of the Criminal Law Amendment Act, 1932, during the British Regim. It is absolutely unconstitutional to retain such laws in free India. In my opinion this esteemed House should consider this question and get those more than 250 persons have been arrested, released but scrap this piece of law altogether. I charge the police with excessive use of force and they have acted in a very high handed way. I do not want the matter to worsen further and therefore I want that all the detenues to be released immediately otherwise the joint Action Committee of the Communist Party and Socialist Party would act furtner and I don't want any such action before the coming elections and in such scarcity conditions .....

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह राज्य का मामला है क्योंकि यह शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने का प्रश्न है।

Mr. Speaker : That is all Dr. Sahib. Now allow me to reply to that.

Dr. Ram Manohar Lohia : Allow me to conclude in one sentence. (**Interruption**).

Mr. Speaker : Order. Order. You may resume your seat.

Dr. Ram Manohar Lohia : I would conclude in one sentence only. I would request the Government to act in U. P. in such a manner so as to avoid furtherance of the Conflict.

Shri Raghunath Singh : Point of Order, Sir.

Mr. Speaker : There is no point of order at this moment. All hon. Members may resume their seats.

According to the telegram which I had read out here, all those persons who had been arrested had indulged in violence. They had manhandled other persons therefore.....

One hon. Member : It is wrong.

Mr. Speaker : It is wrong or right this is not my concern but I am telling what has been stated in tne telegram. Secondly, Central Govt. has nothing to do with this matter because it is a State Govt. subject. Thirdly any law can be declared *ultra vires* by court only. Unless it is so declared by any court, it will remain in force and Govt. can use it.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : I would like to know wnether the remark of non. Member is parliamentary or is it in keeping with the dignity of the House?

Mr. Speaker : It is not fair to use such words.

उडीसा विधान सभा (कार्यावधि का बढ़ाया जाना) विधेयक—जारी
ORISSA LEGISLATIVE ASSEMBLY (EXTENSION OF DURATION) BILL—*contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री गोपाल स्वरूप पाठक द्वारा 12 मई सन् 1966 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करेगी :

"उड़ीसा राज्य की वर्तमान विधान सभा की कार्यावधि बढ़ाये जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय"

श्री पाठक जी, अपना भाषण जारी रखें ।

विधी मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : उड़ीसा विधान सभा की कार्यावधि इस वर्ष 20 अगस्त को समाप्त हो रही है । तथा अगले सामान्य निर्वाचन फरवरी 1967 में होने वाले हैं । तो क्या यह वांछनीय है कि इस 6 महीने के अल्प समय में दो बार निर्वाचन करवाये जांय—अब विधान सभा के लिये और फरवरी 1967 में संसद के लिये । यदि ऐसा किया गया तो प्रशासन-व्यवस्था पर अधिक भार पडेगा और खर्च भी दुगना हो जायेगा । यही नहीं उडीसा में सूखा पडा हुआ है और अधिकारी वर्ग पीडित लोगों को सहायता देने में व्यस्त है इसलिए उनको उस कार्य से हटा कर निर्वाचन के कार्य पर लगाना भी वांछनीय नहीं है । इससे मतदाताओं को भी बडी असुविधा होगी । विरोधी दलों के अनेक सदस्य भी इसका समर्थन करते हैं । अतः दो बार निर्वाचन करने की बात को तो हमें छोड ही देना चाहिये ।

इस विषय में एक सुझाव माननीय श्री द्विवेदी जी ने दिया है । उनका कहना है कि अन्तःकालीन अवधि के लिये उड़ीसा में राष्ट्रपति-शासन लागू कर दिया जाय । किन्तु राष्ट्रपति के शासन के लिये एक राज्य में कुछ विशेष परिस्थितियों का उत्पन्न होना आवश्यक है अन्यथा राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा नहीं कर सकते । यदि उक्त सुझाव को मान लिया जाय तो पहले हमें उड़ीसा में वे परिस्थितियां पैदा करनी होंगी फिर राष्ट्रपति शासन लागू करना होगा । अतः यह एक असम्भव सुझाव है ।

दूसरी बात यह कही जा रही है कि यदि अब निर्वाचन हुआ तो कांग्रेस दल चुनाव में हार जायेगा । यह कल्पना की उड़ान मात्र है । छः महीने बाद भी परिस्थितियां बिल्कुल नहीं बदल जायेंगी ।

श्री द्विवेदी जी ने एक और प्रश्न किया था कि यदि आपात काल एक या दो मास बाद समाप्त कर दिया गया और यह विधेयक भी पास हो गया, तो क्या होगा । मेरा उत्तर यही है कि विधान सभा आपातकाल के समाप्त होने के छः महीने बाद तक कार्य करेगी । तब तक सामान्य निर्वाचन का समय समीप आ जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उड़ीसा विधान सभा (कार्यावधि का बढ़ाया जाना) विधेयक को 17 मई, 1966 तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाय"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।/*The Motion was negatived.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उड़ीसा राज्य की वर्तमानविधान सभा की कार्यावधि बढ़ाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The Motion was adopted.*

खंड 2--(उड़ीसा राज्य की वर्तमान विधान सभा की कार्यावधि का बढ़ाया जाना)

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खंडशः विचार किया जायेगा ।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 10 में—

"for a period of one year"

(एक वर्ष की अवधि के लिये) के स्थान पर

"up to the lst day of March, 1967"

(1 मार्च 1967 तक) शब्द रख दिये जायं ।

पृष्ठ 2, पंक्ति 2 में—

"for expiration of the said period of one year"

(एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर) के स्थान पर "lst day of March, 1967" (1 मार्च, 1967) शब्द रख दिये जायं) ।

इन संशोधनों को प्रस्तुत करने का कारण यह है कि हम बढ़ाई जाने वाली अवधि एक वर्ष से घटाकर 6 महीने करना चाहते हैं ताकि सामान्य निर्वाचन के लिये सूचना अभी दी जा सके । क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 15 में ऐसा उपबन्ध है कि सामान्य निर्वाचन के लिये अधिसूचना वर्तमान विधान सभा की कार्यावधि की समाप्ति से 6 महीने पहले जारी करनी होगी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 1, पंक्ति 10 में—

"for a period of one year"

(एक वर्ष की अवधि के लिये) के स्थान पर

"upto the lst day of March 1967"

(1 मार्च 1967 तक) शब्द रख दिये जायं ।

पृष्ठ 2, पंक्ति 2 में—

"for expiration of the said period of one year"

(एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर) के स्थान पर

"lst day of March, 1967" (1 मार्च 1967) शब्द रख दिये जायं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The Motion was adopted.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The Motion was adopted.*

खंड 2, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया । /*Clause 2, As amended was added to the Bill.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड 1, विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The Motion was adopted.*

खंड 1, विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड दिए गए ।/*Clause 1, the Enacting formulae and the Title were added to the Bill.*

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाय"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The Motion was adopted.*

वर्तमान पंजाब राज्य के पुनर्गठन के बारे में गृह-कार्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION RE : STATEMENT OF HOME MINISTER ON REORGANISATION OF THE PRESENT STATE OF PUNJAB—*contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 12 मई 1966 को श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी । श्री गजराज सिंह राव, अपना भाषण शुरू कीजिये ।

Shri Gajraj Singh Rao (Gurgaon) : As I have already stated that all the political parties, communities and publicmen have welcomed this statement. What more is needed to prove it.

It has been said here that Govt. has yielded to communal, regional and anti-national demand. I would like to clarify here that it is not so. In 1929 a committee was set up before which the demand of separating this region was put first of all. Thereafter 1954 a memorandum to this effect was submitted to the States Reorganization Commission. At that time Akalis were not in the picture. Thus it is an old demand which now has been accepted on the principle that States should be organized on linguistic basis. The Home Minister has well solved it and it is in the interest of the country. Moreover Gujrat and Maharashtra have been organized on the basis of language. There is nothing wrong with them. I do not know why people are so strongly opposing linguistic division of Punjab State. In my opinion, such a division is right.

It is being criticized on the basis of census also. But I would like to state that the boundary commission was constituted at the highest level and its terms of reference covered almost all the relevant points. It was just like a judicial commission. All the public bodies, Members of Parliament and Legislature of that state, and other individuals were invited to tender evidence before the commission. So no body can say that the matter is being hustled. The more we will dc against it the more we will worsen the situation. So I request Shri Shastri to withdraw the Motion.

The question of boundary, assets and liabilities will also be solved. I request Shri Nanda to help Hariana Prant in making further progress.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य): मुझे श्री शास्त्री का भाषण सुनकर खेद हुआ जिसमें उन्होंने सिखों पर सामुदायिकता का आरोप लगाया। उन्होंने पंजाबी सूबे की मांग को ही गलत बताया और साथ ही संसदीय समिति के गठन और कार्य पर अशोभनीय टीका-टिप्पणी की। सिख एक बहादुर कौम है और उसने देश के लिये कई बारे अपना पराक्रम दिखलाया भी है। अतः अब यदि सरकार ने उनकी पृथक पंजाब की मांग स्वीकार कर ली है, जहाँ उनका अपना राज्य होगा, अपनी भाषा होगी, तो अब हमें एक दूसरे की आलोचना करनी छोड़ देनी चाहिये। हमें यह आशा करनी चाहिये कि उनके राज्य में उनकी भाषा, राज्य और व्यक्तिगत स्तर पर फले फूलेगी। मुझे कोमागाटा मारु की कथा याद है और फिर गान्धी युग में सिखों और अन्य पंजाबी वीरों के कारनाम याद हैं। जब साम्यवाद और समाजवाद काफी फैल रहे हैं, ऐसे बदलते हुए राजनीतिक वातावरण में भी पंजाब के लोग, विशेष तौर पर सिख आगे बढे हैं और इन विचारों को आत्मसात किया है। इतने लम्बे समय तक देश ने पंजाब को कुछ अधिकारों से वंचित रखा है और अब पंजाब का अपना राज्य होना चाहिये। सरकार इस से सहमत हो गई है, हमें इसका स्वागत करना चाहिये और हम देखे इस की सरकारकी नीति का पालन इस ढंग से किया जाता है जिस से इस समस्या का समान रूप से समाधान हो।

संसदीय समिति में, हमने ऐसा समझौता करने का प्रयत्न किया है जिस से अधिक से अधिक जन कल्याण हो। पंजाब के पुनर्गठन पर मैं श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी के विचारों से सहमत हूं शायद यह अच्छा होता यदि दिल्ली को हरियाना में मिला दिया जाता और इसको हरियाना की राजधानी बना दिया जाता और नई दिल्ली को केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र बने रहने दिये जाता। हरियाना प्रांत तभी एक अच्छा राज्य बन सकता था यदि मेरठ जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र तथा कुछ अन्य राज्यों के क्षेत्र इसमें मिला दिये जाते। ऐसा हमने नहीं किया ताकि इसे बहुमत का समर्थन प्राप्त रहे और अधिक से अधिक जनता का कल्याण हो सके।

इस समय पुरानी बातें कहने का कोई लाभ नहीं। इस समय हमारा लक्ष्य पंजाबी भाषी राज्य बनाने का है और इसी के परिणामस्वरूप हिन्दी भाषी क्षेत्र हरियाना बनाना पड़ेगा। कांगड़ा जैसे पहाड़ी क्षेत्र पंजाब में रहे या हिमाचल प्रदेश के साथ मिला दिये जायें, इस पर मतभेद है। मेरा मत तो था कि कांगडा पंजाब में रहे, किन्तु समिति का मत था कि कांगडा हिमाचल प्रदेश के साथ मिला दिया जाये क्योंकि वहां के निवासियों की इच्छा ऐसी थी। आयोग के लिए यह एक समस्या है। इस से आयोग के काम में रुकावट नहीं होनी चाहिये। सरकार की नीति का पालन करने से समस्यायें खडी होंगे। आयोग द्वारा सीमा निर्धारण का कार्य शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिये।

पंजाब के विभाजन के लिए 1961 की जनगणना को आधार बनाने के बारे में विरोधी विचार व्यक्त किये गये हैं। 1957 में पंजाब को हिन्दी तथा पंजाबी प्रदेशों में बांटा गया था। मुख्यतः इसी को आधार बनाया जाना चाहिये था। संसदीय समिति ने भी यही सिफारिश की थी। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 1961 की जनगणना में लोगों ने हिन्दी या पंजाबी भाषा के बारे में जो कुछ कहा था उसके पीछे एक विशेष प्रकार के प्रचार की प्रेरणा कार्य कर रही थी। मातृ-भाषा वही भाषा है जिसे हम मां की गोद में सीखते हैं। किसी भाषा का अच्छा ज्ञान होने पर वह हमारी मातृभाषा नहीं बन जाती। 1961

[श्री. ही० ना० मुकर्जी]

की जनगणना में इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए हमें 1961 की जनगणना पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिये परन्तु मैं यह भी नहीं कहता कि इसकी सर्वथा अवहेलना कर दी जाये।

कुछ सदस्यों ने एक ही उच्च न्यायालय, बिजली और सिंचाई के संयुक्त बोर्ड या संयुक्त लोक-सेवा आयोग के बारे में कहा है। यदि इस बारे में सब की एक ही राय हो तो यह बहुत ही अच्छा है। आवश्यकता मैत्रीपूर्ण और सद्भावना का वातावरण बनाने की है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

आयोग को सीमांकन का काम यथासम्भव शीघ्रता से करना चाहिये। इसके आधार पर शीघ्र ही आवश्यक वैधानिक परिवर्तन किये जा सकें।

Shri G. S. Musafir (Amritsar) : Pt. Jawahar Lal Nehru held the view that before the country is reorganised on the basis of language, the countrymen should first understand that they are Indians. He was a great democrat.

As regards the demand for Punjabi Suba Pt. Nehru did not entertain this idea as this was given a communal shape. He had said that this demand would be considered when it is put forward on language basis.

By consenting to the reorganisation of Punjab, Prime Minister has strengthened democratic traditions. Prime Minister has accepted the majority opinion.

As regards Census of 1961, hon. Home Minister has done a nice thing by combining other factors to it. Division on the basis of 1961 Census should not be stressed upon. We can change our nationality and other things, but we cannot change our mothers and mother-tongue. It is a fact that some people had declared Hindi as their mother-tongue and on that basis they claim that majority of the people in Pathankot, Una and Kharar etc. speak Hindi. This is not a good thing. Hindi-knowing people had caused more harm to Hindi by attacking Regional languages. This is reflected in the proceedings of Parliamentary committee on official language. Hindi is our National Language and every body will study it and it does not mean that the mother tongue of Punjabis is Hindi.

Hindus and Sikhs are one and they can't be separated. They will always remain together.

The ancient Distt. Gazetteers, Record of land consolidation and the Punjabi volume of Gruison's writings throw some light on the question of Punjabi Speaking area vis-a-vis Hindi Speaking area. They must be studied for demarcating the areas on language basis.

As regards Script, Punjabi can be written in Punjabi Script as well as in other scripts. Punjabi is an old script and Punjabi language can be written best in this script. Now it is in the hands of boundary commission to decide the matters.

Punjabi and Hariyana Zones should remain intact. Kangra only can be merged with Himachal Pradesh. Census of 1961 combined with other factors is the best solution.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : सीमा का निर्धारण करने के लिए आयोग की स्थापना की गई है। भाषा के आधार पर राज्यों को न बांटा जाये, ऐसा सुझाव अब उचित नहीं है। यह बात गलत है कि सरकार राष्ट्रीय नीति के रूप में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन पर सहमत हो जाने के

बाद पंजाब को वही अधिकार न दे। यदि आन्दोलन में कोई साम्प्रदायिकत्व आ गया है तो इसका कारण यह है कि सरकार ने समस्या को उचित रुप से हल करने में विलम्ब किया है।

यह आश्चर्य की बात है कि संसदीय समिति की नियुक्ति के बाद सरकार तथा कांग्रेस दल ने जान-बूझकर एक मंत्रिमंडल उप-समिति बना कर इसके महत्व को कम करने का प्रयत्न किया। संसदीय समिति एक ऐसी समिति थी जो सभी वर्गों तथा हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। कांग्रेस उप-समिति ने कुछ संदिग्ध और अस्पष्ट बातें की हैं और प्रधान मंत्री ने कहा है कि इसका निर्णय अनिवार्यत: मान्य होगा। क्योंकि उनके संकल्प में कोई स्पष्टता नहीं है अत: पंजाब में और अन्य स्थानों में, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं।

ऐसा करके उन्होंने संसदीय समिति की सिफ रिशों को स्वीकार कर लिया है। संसदीय समिति का सीमित क्षेत्राधिकार था। संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि पंजाब के कुछ भागों को हिमाचल प्रदेश के साथ मिला दिया जायें, वह पंजाब में नहीं है। इसे स्वीकार कर लिया गया है।

सीमा-निर्धारण और भाषा के आधार पर राज्यों के गठन पर गृह-कार्य मंत्री ने अनावश्यक विवाद पैदा कर दिया है।

आयोग की निर्देशित शर्तों में निम्मलिखित मदें शामिल हैं :—

"1961 की जनगणना के आधार पर और अन्य सम्बन्धित विचारों के आधार पर आयोग भाषा सम्बन्धी नियम लागू करेगा"

संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि पंजाबी प्रदेश और हिन्दी प्रदेश की वर्तमान प्रादेशिक सीमाओं को आधार बनाया जाना चाहिये और क्षेत्रों के समायोजन के लिए और प्रशासनिक और अन्य सम्बन्धित बातों के अनुसार इस को कार्य रूप देने के लिए एक सीमा आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये। यह स्थिति सभी वर्गों के लोगों को स्वीकार्य थी।

सीमा आयोग से कहा गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि वे जिस समायोजन की सिफारिश करें उससे वर्तमान तहसीलें छिन्न भिन्न न हो। यह सिद्धान्त अच्छा नही है। यही कारण है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होने पर भी महाराष्ट्र-मैसूर, महाराष्ट्र-गुजरात तथा अन्य कई राज्यों में सीमा विवाद चल रहा है। उन्हें पाटस्कर फार्मूले के अनुसार काम करना चाहिये जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य के सीमांकन के लिए गांव को आधार मानना चाहिये ताकि विभिन्न भाषा भाषी लोग अपनी भाषा वाले राज्य में जा सकें।

नये राज्य की स्थापना 1 अक्तुबर तक हो जाने चाहिये। हमारी और जनता की मांग थी कि यह काम सामान्य चुनाव से पहले सम्पन्न होना चाहिये। यहां तक तो स्थिति ठीक है। सुझाव यह है कि हरियाना को आत्म-निर्भर राज्य बनाने के लिए उसमें नई दिल्ली के अतिरिक्त दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा राज्यस्थान के निकटवर्ती क्षेत्र शामिल किये जाने चाहियें। परन्तु गृहमंत्री ने इस पहलू पर बिल्कुल विचार नहीं किया है।

जब भाषा के आधार पर विभाजन हो जायेगा, भारत के समक्ष एक और समस्या खड़ी हो जायेगी वह बड़े तथा छोटे राज्यों की होगी। यदि छोटे और बड़े राज्य होंगे तो राजनैतिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। यदि सभी बडे राज्य मिल गये तो छोटों की कोई नहीं सुनेगा। सरकार को इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये था। सब राज्यों का क्षेत्र एकसमान करना भी संगत नहीं है। इसके लिए किसी युक्तियुक्त नीति को अपनाया जाये।

जो विवाद हिन्दी अथवा गुरुमुखी का है, उसे समाप्त करना होगा। यदि सरकार यह निर्णय कर ले कि देश की राज-भाषा क्या होगी तो मेरे विचार से यह विवाद समाप्त हो सकता है। यदि देश की मुख्य भाषा हिन्दी रहती है और सरकार अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से इसके सम्बन्ध के बारे में एक बार पूर्णत: निर्णय कर लेती है तो यह समस्या सदा के लिये हल हो जाती है।

Shri Hem Raj (Kangra) : Mr. Speaker Sir, in the beginning I would like to say tnat all the political parties were represented in the Parliamentary Committee which was appointed to go into the question of reorganisation of Punjab State. All the parties put forth their views before the Committee. The Committee received four thousand memoranda. Therefore, there is no question of the Committee being partial to any particular viewpoint.

The problem of Punjab was difficult one. Sant Fateh Singh deserves congratulation for lifting the question of reorganisation of Punjab alone communal considerations and has thus paved the way for the reorganisation of the state on linguistic basis. He is responsible for finding a lasting solution to this problem.

It has been said by an hon. member that the people of hilly region speak Punjabi. In this connection, I would like to submit that the language of the people of Hilly areas is "Pahari". This fact is clear from the census of 1931. The script of this language is "Tankari". We have revenue records of Kangra District in "Tankri" script. The hill people have never adopted Punjabi as their language.

The way of living of the people of hilly areas is compact and uniform and therefore the decision of Parliamentary Committee in regard to these areas is correct and cannot be disputed. I do not agree with the hon. member Shri Shastri, and maintain that the Home Minister has solved the Punjab problem for all times to come. He deserves congratulations for this success.

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar) : Mr. Speaker, the Home Minister deserves congratulations for his decision to create a separate state of Haryana. It would have been better if a proper state of Haryana had been created by merging certain areas of Delhi, U.P. and Rajasthan in the proposed state.

According to 1961 census, there are 1,29,30,045 Hindus in Punjab. Out of these 1,12,98,855 are Hindi speaking. So, 16,31,190 Hindus declared Punjabi as their language. Therefore, Hindus cannot be blamed that they did not declare Punjabi as their language on communal grounds. Even in Rohtak and Gurgaon districts a number of Hindus had declared Punjabi as their language.

Today the Akalis claim that Fazilka, Kharar and Una are Punjabi speaking areas. I would like to ask whether this claim is not based on communal consideration. Fazilka and Kharar are Hindi speaking areas and Chandigarh is in Kharar Tehsil. In so far as Una is concerned, it was said by Shri Chhotu Ram that Bhakra Dam was mainly intended for the benefit of Haryana. Therefore, that area should form part of Haryana state. In this connection I would like to request Shri Nanda that water and electricity should be brought under the control of Central Board consisting of the nominees of both the States. Chandigarh should be the Capital of Haryana State. So far as Punjabi State is concerned, Patiala should be its capital. They have already developed it as a capital. There are also big cities like Jullundur and Amritsar in the Punjabi region.

I would like to submit that the proposed Haryana state should be given separate High Court, possibly Delhi High Court—Services and Governor. Haryana would be a strong state and would be of much help in the defence of the country.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotali) : Mr. Speaker, it is unfortunate tnat our country is being divided time and again and it is being done at a time when we are facing a threat on our borders from Pakistan. The Congress Government has decided to divide Punjab in order to get votes for the Congress party. Jan Singh, which believes in Hindu-Sikh unity is opposed to the division of Punjab. Even

Jawahar Lal Nehru was opposed to partition of Punjab. There are a number of dialects in the country and we cannot afford to divide our country into small pieces. If we follow this policy the country will disintegrate and become weak. Jan Singh believes in unity in the country and does not want that the country should be divided on linguistice principles.

In fact, the Punjabi Suba demand is not backed by the general public. It is only that of Akalis who want a separate state for themselves. The present division of Punjab is creating dissensions among the Hindus and Sikhs. Government have taken wrong decision regarding Punjabi Suba. The people of Haryana were not in favour of the division of Punjab but now they have welcomed this decision. This decision has been taken in the interest of Party and in the interest of some people who are badly after offices. This will prove detrimental to the nation. Today we should stand united and not think of the division of the country.

I oppose the creation of Punjabi Suba.

Shri A. N. Vidyalankar (Hoshiarpur) : In the creation of Punjabi Suba, many things have been said about 1961 census. The Government's announcement that the Boundary Commission would apply the linguistic principle with due regard to the census figures of 1961 and otner relevant considerations is very appropriate. The voice raised against the 1961 census figures has been listened to by Government and if the Government had not referred to 1961 census and other relevant considerations, possibly the Commission would have based its conclusions on the 1961 census alone.

Hon. Member Shri Shastri should not have raised this issue here when a decision had already been taken. It is not proper to reopen an issue which has been decided. Now our attitude should be such as to normalise the atmosphere there but certain things said by the hon. Mover would vitiate matters instead of improving them.

Shastriji should not have touched this question now ; and moreover, he is not well versed with the affairs of Punjab. I regret to note that Shastriji has supported President's rule in Punjab and opposed linguistic states. I vehemently oppose President's rule in Punjab.

Shastriji has supported multilingual states. But wnen all the State were formed on linguistic basis, only Punjab was the only state which was bilingual. This became a source of trouble ; therefore a compromise formula was evolved by the ruling party and the Akali Dal to let the State function as a bilingual state. But this experiment failed as the Hindi supporters started Hindi agitation against making Punjabi compulsory in any part of Punjab. Shastriji was a supporter of this agitation.

Now when Punjabi Suba has been formed Mr. Madhok has also agreed that they committed a mistake by not accepting the Regional Formula. Had Punjab been allowed to function as a bilingual state and the experiment a success such a situation would never have arisen.

Who is responsible for the explosive Communal situation in Punjab ? The Communal newspapers there are blaming Congress for it. Have Government not acted quickly to separate the parties, this explosive situation would have erupted one day and the peace of this border State would have been disturbed.

Hon. Members say that this is a weak kneed policy. When Sachar formula was evolved, even then these people used to say that Government is following a

[Shri A. N. Vidyalankar]

policy of appeasement. Now when both the states have been separated they are saying that we are following a policy of appeasement.

I agree with Shastriji that a language can be written in any script; it should not make any difference. But why this opposition to Gurumukhi. At one time Arbi and Persian had become very popular and in order to counter this popularity the Sikh Gurus adopted the Sharda script which was quite current at that time. Gurumukhi served the purpose of countering the spread of Arbi and Persian. I do not understand this logic that Punjabi is our mother tongue if it is written in Nagri script and if it is written in Gurumukhi script then it is not our language. This logic is based on communalism.

In the end I would request him not to encourage communal feelings and let the Punjabi Suba and Haryana Prant function in a peaceful manner. The Hindu-Sikh conflict and Hindi-Punjabi conflict should be ended for ever I would also request the Government not to follow the policy of not dividing the Tehsils. This would cause lot of difficulty in the position as some of Tehsils are both Hindi-speaking and Punjabi-speaking.

उपाध्यक्ष महोदय : डा० लोहिया ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I have come across an information which would anger every Indian citizen. This is about the total area of India. At 1010 of the United Nations Year Book 1950 it has been mentioned.

"that the total area of India is 31,62,454 kilometers."

In the 1964 year book of the same institution, *i.e.* after 14 years, it has been mentioned at page 579 that the total area of India is 30,46,232 kilometers. Now both these books belong to an institution of which India is a member. All these figures are provided by the Government of India. If such a big mistake has occurred about the area of India, should not the member-state protest against it ? If it concerns the land occupied by China or Pakistan, even then it cannot be reduced.

Even in a book published by the survey of India in 1953 the total area of India was mentioned as 12 lakhs 69 thousands and 640 square miles and in the book published in 1964, the total area has come down to 12 lakhs 61 thousands and 597 sq. miles. Had it happened in any other country, the Government would have been toppled in no time. During the last 14-15 years we have formed lot of linguistic States but no regional language has progressed in comparison to English. In these linguistic States, English is still reigning.

I would also suggest that all these states, such as Maharasntra, Gujarat, Vidarbha etc, should have been formed during 1948-49 once for all. The Government kept the issue alive and diverted the attention of the public to this side. Even opposition parties do not think in the right direction. They put wrong questions and expect correct replies. We should strive for doing away with English language, for improving the agriculture and factories. What actually happens is that the opposition parties demand the state of Maharashtra; the Congress Government refuses. Then there are disturbances for 4-6 years and finally the Congress concedes the demand and the public is pleased. This question of the area of India should be settled before the current Session ends. Where has this 1,22,222 sq. kilometers land gone? We should not get involved in the question of the formation of Subas. This would take another 4-5 years and time would be wasted unnecessarily. We must seek clarification from the Govt. about this area of India. This involves a great secret.

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : अभी अभी मुझे श्री प्रकाशवीर शास्त्री से एक कागज़ मिला है कि मैं अपना भाषण हिन्दी में दूं। इस सम्बन्ध में मैं यह बता दूं कि मेरी मातृ भाषा पंजाबी है, अतः मैं अंग्रेजी में ही बोलूंगा।

यह चर्चा मेरे 18 अप्रैल के वक्तव्य के सम्बन्ध में है। भाषण देने वालों ने अपने प्रादेशिक हितों की सुरक्षा करने का प्रयत्न किया है। और इस चर्चा द्वारा, स्थिति को काबू में लाने के लिये सरकार द्वारा अपनाई गई नीति का समर्थन किया गया है। इससे पता चलता है कि सरकार ने जो नीति अपनाई थी वह उचित और ठीक थी और हमें इससे हटना नहीं चाहिए। 18 अप्रैल के वक्तव्य में यह बताया गया है कि वर्तमान पंजाब राज्य का विभाजन केवल भाषा के आधार पर होगा। इसके लिये केवल भाषा का आधार लागू किया जायेगा। इसलिए ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए जिससे असली प्रश्न छिप जाए। इस मामले में जातिया धर्म की बात को बीच में लाने से समस्त विषय दूषित हो जायेगा।

वक्तव्य में यह कहा गया था कि आयोग 1961 की जनगणना तथा दूसरी सम्बन्धित बातों को ध्यान में रख कर भाषा के सिद्धान्त को ही लागू करेगा। यदि इन सब बातों को वक्तव्य में न कहा गया होता तो भाषा की कुछ भी विवेचना की जा सकती थी और मामला कुछ और ही होता। सम्बन्धित बातें क्या हैं इसका निर्णय करना हमारा नहीं बल्कि आयोग का काम है। आयोग ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है और मेरे विचार में यह वांछनीय नहीं कि हम इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर, जो कि आयोग के सामने है, विचार करें।

यह भी पूछा गया है कि आयोग की क्या आवश्यकता है और यह कहा गया है कि विभाजन वर्तमान पंजाबी तथा हिन्दी प्रदेशों के आधार पर किया जा सकता है। परन्तु वक्तव्य में बिल्कुल यही बात कही गई है कि आयोग वर्तमान पंजाब के हिन्दी और पंजाबी प्रदेश की वर्तमान सीमा की जांच करेगा और उसके समायोजन की सिफारिश करेगा। अतः एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग की, जिसके कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश सदस्य हैं, नियुक्ति करना उचित कार्य है। हमें यह विश्वास रखना चाहिये कि न्याय किया जायेगा और जो भी निर्णय होगा उसे सद्भावना से लागू किया जाना चाहिये। संसद् के विचारों से यह पता चलता है कि वक्तव्य के आधार पर पंजाब का पुनर्गठन शीघ्र ही साकार हो जाएगा। श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा कि पिछले कई वर्षों से यह प्रश्न सामने आता रहा है परन्तु राज्य का विभाजन नहीं किया गया और अब ऐसा क्यों किया जा रहा है। परन्तु क्या यह सही नहीं है कि पहले भी कई महत्वपूर्ण निर्णय किय गये जिन्हें बाद में बदलना पड़ा। लोकतन्त्रात्मक परिस्थितियों में यह आशा की जाती है कि सरकार जनता की बदलती हुई राय के साथ और बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अपने निर्णयों आदि को बदले। इस प्रकार का परिवर्तन स्वयं श्री प्रकाशवीर शास्त्री के भाषण में भी हुआ है। अपने भाषण के बाद के भाग में उन्होंने हरियाना के हितों की चर्चा करते हुए कहा कि अब वे चैन का सांस ले सकते हैं। रायें भिन्न भिन्न हो सकती है परन्तु जो मामला तय हुआ है वह आप लोगों की इच्छा के अनुकुल हुआ है। माननीय सदस्य मेरे 6 सितम्बर के पहले वक्तव्य को स्मरण करें जिस का समूची सभा ने समर्थन किया था और स्वयं श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने भी समर्थन किया था। मेरे 23 सितम्बर के दूसरे वक्तव्य का भी उन्होंने स्वागत किया था। इस प्रकार समय समय पर जो कदम उठाये गये उन का स्वागत किया गया था। इस का मतलब यह है कि उन से हमारी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। हर बात को अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं और सन्तुलन कायम रखते हुए निर्णय करने पड़ते हैं। ये निर्णय सभी पहलुओं और साथ ही राष्ट्र हित को भी समक्ष रखते हुए किये गये हैं। हमारा उद्देश्य यही था कि इस मामले का ऐसा हल किया जाये जिस से हमारे लिए कोई कठिनाई पैदा न हों। मैंने विभाजन को टालने की भरसक कोशिश की। पंजाबी भाषा-भाषी क्षत्र में गड़बड़ हुई। परन्तु हमारी कोशिशों से इस मामले का शांतिपूर्ण हल निकल आया।

विभाजन के कारण समस्याएं और कठिनाइयां पैदा होंगी परन्तु हमें संयम से काम लेना है और ध्यान रखना है कि भावनाओं में कटुता न आने पाये और विभाजन शांति एवं मित्रता के वातावरण

[श्री नन्दा]

में हो। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो परस्पर सहयोग की भावना से हल की जा सकती हैं। सिंचाई का प्रश्न हो, बिजली का हो या परिवहन का, मैं यह नहीं कहना चाहता कि यह होना चाहिए या वह होना चाहिए। परन्तु यह भावना अवश्य होनी चाहिए कि हम पड़ोसी हैं और हमें मिल कर रहना है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने अपने भाषण में मास्टर तारासिंह की गतिविधियों की चर्चा की। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि हमारे सामने पहले ही बहुत सी समस्यायें हैं, बहुत सी पेचीदागियां हैं और वह कोई और समस्या, कोई और कठिनाई पैदा न करें। विभाजन के बाद पंजाब और हरियाना दोनों को भरसक प्रयास कर के अपन अपने मामले हल करने होंगे। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि शांति एवं सद्भाव का वातावरण रहे। इस के अतिरिक्त हमें देखना है कि पंजाब एक सीमान्त प्रदेश है, वहां पर किसी तरह की कमज़ोरी पैदा करना देश के साथ धोका करना है। मैं उन लोगों की बात कहता हूं जो आत्म-निर्णय की बात करते हैं, जिस की म कल्पना भी नहीं कर सकता। हमें राष्ट्रीय हित और एकता के प्रश्न को भी समक्ष रखना है। इसलिए मैं मास्टर तारासिंह से अपील करूंगा कि उन की गतिविधियों के कारण पंजाब में किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं कि उन की गतिविधियां अनुचित हैं। वह पंजाब में शान्तिपूर्ण वातावरण पैदा होने दें और एक नया और सबल पंजाब बनने में योगदान दे।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने देश को पांच भागों में बांटने की बात भी कही। भविष्य में क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता। परन्तु अब हमारे देश में भाषा के आधार पर राज्य बने हैं। अब हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि इसी व्यवस्था से पूरा लाभ उठायें। जहां तक दिल्ली का प्रश्न है मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्य दिल्ली की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन करना नहीं चाहते।

श्री त्यागी : क्या आप उत्तर प्रदेश के बारे मे भी एसा नहीं कह सकते ?

श्री नन्दा : हमने निश्चयात्मक ढंग से कहा है कि पंजाब के विभाजन के परिणामस्वरूप किसी अन्य राज्य के किसी भाग को छआ नहीं जायगा।

श्री त्यागी : डा० लोहिया ने जो आंकड़े दिये हैं उन के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों से पता चलता है कि हमारा कुल क्षेत्र एक लाख वर्ग किलोमीटर कम हो गया है। क्या माननीय मंत्री सभा के स्थगित होने से पहले इस बारे में स्थिति स्पष्ट करेंगे ?

श्री नन्दा : मने नोट कर लिया है और मैं देखूंगा। परन्तु हमारे देश के क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता।

Dr. Ram Manohar Lohia : Eight thousand square miles of area has vanished from our own book : Survey of India. When we fight for every *inch* of our land, what has been done about the said area of Eight thousand square miles ?

श्री नन्दा : हम तुरन्त इस की जांच करेंगे **(अंतर्बाधायें)**।

Shri Prakash Vir Shastri : By sending a slip, I had requested Shri Nanda to speak in Hindi as I wanted him to follow the example of Shri Jawaharlal Nehru who, at such occasions, used to speak in Hindi.

The hon. Home Minister said that what could be the use of raising this issue now when the problem has already been settled. Sir, through you, I want to level a charge against the present Government. The question of division of Punjab had come up previously also, but the Government announced its decision

only after seeking the opinion of Members of Parliament. But the present Government has failed to do so. My purpose in moving this motion is to enable the Government to rectify its mistake and to act in future cautiously.

Shri Nanda said that he could not say what decision the former leaders would have taken in the present circumstances. But I have the facts with me and I can tell what Shri Jawaharlal Nehru said when he thrice held talks with Sant Fateh Singh. He had said that the problem of minorities was not there in States like Andhra Pradesh, Gujarat and Maharashtra where the language formula was followed, but the case of Punjab was different. He said that if Punjab was divided there would be no peace and stability left in that state. Shri Nehru again had talks with Sant Fateh Singh on 1st March, 1961 and made it clear that the division of Punjab would adversely affect the interests of not only Hindus and Sikhs but also of the nation. Moreover, I have got a letter of Shri Nehru in which he clearly said that the demand for division of Punjab could never be accepted by them. The States Reorganisation Commission had also considered this issue and had stated in its report that the language problem and the communal problem could not be solved by the proposed state and that tension would further increase.

Then, before the Congress Working Committee took any decision, the Chief Minister of Punjab and also the Home Minister of that State gave wide publicity to the view that Congress was not in favour of dividing Punjab. The bloodshed and murders followed in Punjab. I have already condemned the burning down of three persons at Panipat. But could no protection be given to the other 11 persons who were done to death in Punjab? The Government of India, the Chief Minister of Punjab and its Home Minister are responsible for the 14 murders committed in Punjab. If Punjab was to be divided it was the duty of the Punjab Government to prepare the minds of the people there accordingly.

I had given a suggestion that the Country should be divided in five parts and a unitary form of Government should be established here. But Shri Nanda said that a time may come when such a suggestion could be considered. But did the Government not form Zonal Councils in expiration, subsequent to formation of the States on linguistic basis ? It is a misfortune that the Government at the Centre is under too much pressure from Chief Ministers.

I have never supported the view that Punjabi should not be written in Gurumukhi script or that Gurumukhi script should be done away with. I want that the Government of Punjabi Suba should give people liberty to write applications, etc., in Devanagari script as well, whenever anybody chooses to do so. There should be no restriction on the use of Devanagari script.

I would have been glad had Shri Nanda replied to my argument regarding figures of 1961. My friend Shri Siddhanti has given figures to the effect that 16 lakhs of Hindus had told that their mother tongue was Punjabi. How can then be said that people had got written their mother tongue having been swayed away by communal feelings. But we can take the figures of Punjab University where, in the matriculation examination, 75 per cent. of the students accepted Hindi as the medium. How can then be said that there is no Hindi region in Punjab. It is very sad that due to wrong policies of the Government Hindi is being given communal shape in Punjab.

Government should take a firm decision that no political campaign can be conducted from any relegious place. A religious place is not a foreign country

[Shri Prakash Vir Shastri]

that police cannot enter there. If this situation is not remedied then the smugglers and other bad elements will take refuge there and will spread anti-national and anti-Government feelings from there. Religious places should not be allowed to be used for political purposes.

Shri Nanda should consider all these points if he has not done so already.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सिद्धान्ती का एक संशोधन है। मैं इसे मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ/*The amendment was put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि यह सभा वर्तमान पंजाब राज्य के पुनर्गठन के बारे में 18 अप्रैल, 1966 को गृह-कार्य मंत्री द्वारा द्वारा सभा में दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

एशियन डेवेलपमेंट बैंक विधेयक
ASIAN DEVELOPMENT BANK BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री ब० रा० भगत) : म प्रस्ताव करता हूँ :

"कि एशियन डवेलपमेन्ट बैंक की स्थापना और संचालन के लिये अंतर्राष्ट्रीय करार को क्रियान्वित करने तथा तत्संसक्त विषयों सम्बन्धो विधयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक में मुख्यतया दो बातों की व्यवस्था की गई है। एक तो यह है कि विधेयक के खण्ड 3 में बैंक को अंश पूंजी के अनिवार्य भुगतान की व्यवस्था है जिनका ब्यौरा विधेयक के वित्तीय ज्ञापन में दिया गया है। दूसरे एशियन डेवलपमेन्ट बैंक, उसके अधिकारियों और कर्मचारियों को भारत में भो कुछ छूट और विशेषाधिकार देने के बारे में है जिसका ब्यौरा विधेयक की अनुसूचो में दिया हुआ है। यह छट विश्व बैंक सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, जैसे कि इण्टर अमेरिकन डेवेलपमेन्ट बैंक और अफ्रिकन डेवेलपमेन्ट बैंक, को दो गई छूटों के समान ही होंगी।

गत दस वर्षों में बहुदेशोय आधार पर विकासशील देशों में आर्थिक सहायता का कार्य करने वाली अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थायें स्थापित हुई है तथा विश्व बैन्क और उससे सम्बद्ध संस्थाओं ने नये देशों के विकास के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है ; इसी प्रकार सयुक्त राष्ट्र विशेष निधि आदि से भी देशों के विकास में बहुत सहायता मिली है। फिर भी यह महसूस किया जाता है कि क्षेत्रीय विकास बैंक संसार के अल्प-विकसित क्षत्रों में अड़ोसी-पड़ौसी देशों के आपसी सहयोग द्वारा उनके विकास के लिये अच्छा कार्य कर सकते हैं। कछ वर्ष पूर्व स्थापित इण्टर अमेरिकन डेवेलपमेन्ट बैंक ने केन्द्रोय और दक्षिण अमेरिका में बहुत अच्छा कार्य किया है। अफ्रीका डेवेलपमेन्ट बैंक जो कि बाद में बना था कार्य करने के लिये तयार है और एशियन डेवेलपमेन्ट बैंक इस दिशा में एक नया कदम है। यह आशा की जाती है कि इस क्षत्र में आर्थिक विकास के लिये अतिरिक्त विदेशी पुँजी जुटाने में सहायक होगा जिससे प्रगति की गति तेज हो जायेगी। दूसरा लाभ उससे यह होगा कि अंतर्राष्ट्रोय संगठनों की अपेक्षा यह इस क्षत्र की, क्षत्र के देशों की आर्थिक समस्याओं, राष्ट्रोय और क्षत्रीय परियोजनाओं और कार्यक्रमों को अधिक अच्छी प्रकार से समझे और उनके हित में विशषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठा सकेगा, क्योंकि स्थानीय विशेषज्ञ उनसे भली भाँति परिचित होने के कारण अधिक निपुणता एवं शीघ्रता से अपनी राय

दे सकेंगे। तीसरा लाभ इससे यह होगा कि इस क्षेत्र के राष्ट्रों को मानवीय अस्तित्व के रचनात्मक पहलुओं में एक दूसरे के निकट लाने में यह सहायक सिद्ध होगा। बहुत समय से भारत का दृष्टिकोण यह रहा है कि राष्ट्रीय, क्षत्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव का मुख्य कारण आर्थिक रूप से पिछड़ापन है। सहकारिता के आधार पर इस क्षेत्र में प्रगति की गति को तीव्र करके इस क्षत्र में तनाव कम किया जा सकेगा।

इण्टर-अमेरिकन डेवेलपमेन्ट बैंक के कार्य से यह अनुभव हुआ है यदि कोई क्षेत्रीय संस्था स्थापित कर दी जाये तो उस क्षत्र में सहकारिता से वास्तविक आर्थिक अथवा अर्द्ध-आर्थिक समस्याओं को अधिक सरलता से आंका जा सकता है और परियोजनाओं की अधिक शीघ्रता से कार्यान्वित किया जा सकता है। इन्हीं कारणों से एशियन डेवेलपमेन्ट बैंक की स्थापना की दिशा में मार्च 1964 से यूनाइटेड नेशन्स इकानामिक कमिशन फार एशिया एण्ड फार ईस्ट के तत्वावधान में काफी कार्य किया गया है। नौ क्षत्रीय देशों (भारत सहित) द्वारा प्रतिनियुक्त वरिष्ठ अधिकारियों के मिशन एशियन बैंक की स्थापना के हेतु समर्थन प्राप्त करने के लिये इकाफ क्षेत्र के देशों में ही नहीं अपितु रूस और जकोस्लोवाकिया भी गये। इस सारे कार्य के परिणामस्वरूप ही एशियन डवलपमेन्ट बैंक की स्थापना सम्बन्धी करार हुआ है और 1 अरब डालर के लक्ष्य में से 9920.80 लाख डालर की राशि मिल गई है।

इस बैंक के सदस्य केवल इस क्षेत्र के देश ही नहीं अपितु बाहरी देश भी हो सकते हैं क्योंकि यह वांछनीय समझा गया है कि अन्य देश भी एशिया के आर्थिक विकास के लिये पूंजी लगाय। बक को सदस्यता का आधार यह होगा कि इकाफे क्षेत्र का देश ो कि उस संगठन का सदस्य है बैंक का सदस्य हो सकेगा और इकाफे क्षेत्र के बाहर का कोई देश जो कि संयुक्त राष्ट्र से किसी भी प्रकार सम्बद्ध है इस बैंक का सदस्य हो सकेगा। प्रत्येक सदस्य देश को गवर्नर बोर्ड में अपना एक गवर्नर रखने का अधिकार होगा। मत देने का अधिकार 20% तो समस्त सदस्य देशों को बराबर बराबर होगा और 80% प्रतिशत उनकी अंश पूंजी के अनुपात में होगा। गवर्नर बोर्ड निर्धारित सूत्र के अनुसार बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स निर्वाचित करेगा। बक का मुख्य अधिकारी उसका प्रसीडेन्ट होगा जिसे गवर्नर बोर्ड नियुक्त करेगा और अपनी सहायता के लिये बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के अनुमोदन से वह एक या अधिक वाइस-प्रेसिडेन्ट नियुक्त कर सकेगा।

इसके कार्य संचालन के लिये चार्टर बनाने वालों ने यह महसूस किया कि एशियन बैंक के लिये स्वस्थ परम्परायें स्थापित करना आवश्यक है इसलिये उन्होंने कुल अंश पूंजी का 10 प्रतिशत लाभकारी परियोजनाओं के लिय नियत किया है और यह व्यवस्था की है कि अंश पूंजी का 10 प्रतिशत तथा इसके अतिरिक्त किसी दानदाता देश से विशेष व्यवस्था द्वारा बैंक को प्राप्त विशष निधि का अन्य प्रकार की सहायता के लिये उपयोग किया जा सकता है। एशियाई देशों द्वारा स्थापित यह बैंक संसार के पूंजी बाजारों में आधिक प्रत्यय दर प्राप्त कर सकता है।

इस में 1 अरब डालर की अंश पूंजी आने की आशा थी जिसमें से 6,000 लाख डालर की क्षेत्र से ही 4,000 लाख डालर की बाहरी देशों द्वारा लगाये जाने की आशा थी। बड़े संतोष की बात है कि क्षेत्र के देशों ने 6,420 लाख डालर की पूंजी लगाई। अकेले भारत ही इसमें 930 लाख डालर के बराबर पुंजी लगायेगा। इसमें केवल 50 प्रतिशत पुंजी मांगी जायेगी और वह विदेशो मद्रा के रूप में तथा स्थानीय मुद्रा में बराबर बराबर देनी होगी। इन भुगतानों का ब्यौरा वित्तीय ज्ञापन में दिया हुआ है। क्षेत्र के देशों में भारत दूसरा सबसे बड़ा अंशदाता होगा तथा समस्त सदस्य देशों में अंशदाता के रूप में भारत का स्थान तीसरा होगा। जापान और अमरीका प्रत्येक इसमें 2,000 लाख डालर लगायेगा। विदेशी मुद्रा की वर्तमान कठिन स्थिति में भी हमें इस भार को बैंक के लाभप्रद उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सहन करना होगा। यदि

[श्री ब० रा० भगत]

बैंक के संचालन में अच्छी भावना से काम किया गया और देश विशेष अथवा वर्ण विशेष के ही हित को सामने नहीं रखा गया तो मुझ आशा है आर्थिक सहकारिता के क्षेत्र में काफी प्रगति हो सकेगी ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

दिसम्बर, 1965 में मनीला में हुई एशियाई देशों के मंत्रियों की एक बैठक में समझौते के प्रारूप को अन्तिम रूप दिया गया था और भारत के प्रतिनिधि के रूप में मैंने उस पर हस्ताक्षर किये थे। यह केवल पहला कदम था। सदस्यता तभी पक्की होगी जब कि अपना अंशदान द दिया जायेगा। दोनों सभाओं की स्वीकृति मिलने पर हम अंशदान देंगे। अब मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि एशियन डेवेलपमेन्ट बैंक की स्थापना और संचालन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय करार को क्रियान्वित करने तथा तत्संसक्त विषयों सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाय।"

श्री ही० ना० मकर्जी : मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कहा है कि यह सीधा-साधा मामला है परन्तु ऐसी बात नहीं है। यह जो करार किया गया है उसके बारे में अनुसूची में दिये गय उपबन्धों के अतिरिक्त जो कि विशषतया छूट और विशेषाधिकारों के बारे में हैं समझौते के अन्य अनुच्छद हमें नहीं बताय गय ह। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या यह बैंक वास्तव में हमारे देश के लिये सहायक सिद्ध होगा। इण्टर-अमेरिकन डेवेलपमेन्ट बैंक हमारे जैसे देश के लिये उदाहरण नहीं हो सकता ।

जब यह मामला 1964 में उठाया गया था तो यह बात उठी थी कि क्या यह बैन्क एशियाई बक है और क्या यह एशियाई देशों के हित में होगा जिसका उत्तर मेरे विचार में नकारात्मक है। इस बैंक के माध्यम से संयुक्त राज्य अमरीका अपने जापान और थाइलड जैसे एशियाई मित्रों की सहायता से एशिया में पूरी तरह छाया रहेगा। मेरे विचार में इस बैंक की स्थापना का आधार ही गलत है।

1965 में जब इस बैंक के बारे में बातचीत चल रही थी तो अमरीका और जापान कोई उत्साह नहीं दिखा रहे थे। परन्तु राष्ट्रपति जानसन ने जब अचानक यह घोषणा की कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को सहायता देने के लिये अमेरिका 1 अरब डालर देगा तो तुरन्त ही जापान और अमेरिका के रुखों में परिवर्तन हो गया। जापान और अमेरिका के बीच उच्चस्तरीय आर्थिक प्रतिनिधिमण्डलों का आना जाना हुआ और अपने पहले रुख के विपरित वे इस मामले में बहुत उत्साह दिखाने लगे।

ऐसा लगता है कि इस बैन्क की स्थापना के पीछे कोई चाल है। प्रस्तावित 10,000 लाख डालर में से 5,000 लाख डालर जापान, अमरीका और आस्ट्रलिया लगायेंगे। दक्षिण कोरिया, दक्षिण विएतनाम, फिलिपीन, थायलैंड और मलेशिया को मिलाकर वे 6,000 लाख डालर देंगे। शेष एशियाई देश —भारत, पाकिस्तान, बर्मा, लंका, अफगाणिस्तान, नेपाल और ईरान मिलाकर 4,000 डालर देंगे। भारत का अंशदान 930 लाख डालर का होगा जब कि जापान का 2,000 लाख डालर का। भारत का इसमें महत्वपूर्ण स्थान नहीं होगा और अमरीका अपने पिट्ठू देशों के साथ मिलकर इसके प्रबन्ध पर छाया रहेगा। हो सकता है कि कुछ भारतीयों को इसमें अच्छे स्थानों पर नियुक्त कर दिया जाये परन्तु हमें इस लालच में नहीं आना चाहिये। मेरे विचार में तो इस बैंक में हमारी स्थिति विश्व बैंक में हमारी स्थिति के बराबर भी नहीं होगी। जहाँ

कि हमारा एक स्थायी निदेशक है। सब जानते है कि भारत इसका पहला प्रसीडेन्ट होगा। जापान और अमेरिका मिलकर भारत को जो स्थान इसमें देंगे वह हमे ग्रहण करना होगा और संयुक्त रूप से वे जो भी राजनतिक चाल चलेंग उसे निष्प्रभाव करने के लिये हमे पर्याप्त मत नहीं मिलेंगे। इस स्थिति को मेरे मित्र और सरकार और सिविल कर्मचारी स्वीकार कर रहे हैं और वे यह जानने की भी परवाह नहीं कर रहे कि इन ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग परियोजनाओं के पीछे राजनैतिक चाल होती है। मैं समझता हूं कि विदेश मंत्री महोदय उस को समझने लगे हैं और जब वह इसे पूरी तरह समझ जायेंग तो वह अपने सहयोगियों से कहेंगे कि इस बारे में पूरी बाते जाने बगैर हमें कार्यवाही नहीं करनी चाहिये।

मंत्री महोदय ने अफीकी विकास बैंक का उल्लेख किया। अफ्रीकियों ने इस बैंक पर गैर-अफ्रीकी शक्तियों का प्रभुत्व नही होने दिया परन्तु एशियाई विकास बैन्क मे एशियाई जैसी कोई बात नहीं है।

भारत को यह पता होना चाहिए कि आर्थिक हितबद्ध कुछ शक्तियां संसार में किस प्रकार कार्य कर रही है। उसे यह भी मालूम होना चाहिए कि उसके भविष्य के लिए कौन नुकसान पहुंचा सकता है।

गत वर्ष दिसम्बर के आरम्भ में मनीला में एक बैठक हुई थी जिसमें अमरीका को इस तथाकथित एशियाई विकास बैंक का वास्तिवक निदेशक बनाने के लिए कार्यवाही की गई थी। इस पर अमरीकी समाचारपत्रों में प्रसन्नता प्रकट की गई और यह अनपयुक्त भी नहीं है क्योंकि इस बैंक के चार्टर में उन्हीं औद्योगिक देशों को बहुमताधिकार दिया गया है जो अमरीका के और एशिया में उसके सहयोगियों के हाथ में ह। शायद यह इस शंका के कारण है कि यदि प्रबन्धक अधिकार औद्योगिक देशों को नहीं दिये जाते हैं तो भारत जैसे देशों में पूंजी नहीं लगेगी। अनेक छोटे एशियाई देशों के सिविल कमचारियों से जोकि यह महसूस नहीं करते कि प्रबन्ध शक्ति किस प्रकार मत देने के अधिकार से सम्बन्धित है, इस बैंक के चार्टर को बनाने के लिए कहा गया है। इस बैंक का ढाँचा ऐसा है और कुछ दूसरे देशों पर अमरीका का नियंत्रण इतना अधिक है कि हम अत्यधिक कठिन स्थिति में पड़ जाएंगे।

अमरीका एसी स्थिति बनाना चाहता है जिससे वह एशिया के देशों की आर्थिक नीतियों को अपनी इच्छानुकूल बना सके।

हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम पहले से ही अपनी समस्याओं में इतने उलझे हुए हैं कि धन की तो बात ही क्या है हम विचारों से भी एशिया का नेतृत्व नहीं कर सकते और अपने पड़ोसी छोट-छोटे राज्यों को भी अमरीकी प्रभुत्व में छोड़ दिया है। इससे विपरीत संतुलन बना हुआ है और इन राज्यों में आपसी संघर्ष तथा मत भेद हैं जिसके कारण एशिया में पश्चिमी देशों की स्थिति विशषकर रूप से अमरीकी नीति संबंधी हित सुरक्षित हुए हैं।

दीर्घकाल से ही पश्चिम के नीति निर्माताओं का यह स्वप्न था कि एशिया में हितों का पर्याप्त अन्तर डाल दिया जाय जिससे वहाँ पर कभी सन्तुलन न हो सके। यह स्वप्न एशियाई विकास बक के रूप में साकार हो गया है। ब्रिटन का जो उद्देश्य भारत को विभाजित करने में तथा मलेशिया को एक पृथक राज्य रखने में था वही उद्देश्य आज भी पश्चिमी देशों का है। दक्षिण-पूर्व एशिया के ये देश अमरीका की आर्थिक तथा सैनिक सहायता देने के लिए तैयार हैं।

वह केवल कोई संयोग नहीं है कि एशिया का आर्थिक आयोग अपनी गोष्ठियां तथा बैठकें मनीला, बैंगकाक या टोकियों में करता है। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का 9 राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन कुछ समय टोकियों में हुआ था जिसमें अमरीका तथा जापानी निर्देशन में विकास सम्बन्धी नीतियों को संयुक्त करने के बारे बातचीत हुई। यही एशियाई विकास योजना का आधार था। यह योजना कोई साधारण सा मामला नहीं है जिस पर बिना अच्छी तरह विचार किये इसे स्वीकार कर

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

लिया जाये। एशिया तथा सुदूरपूर्व के आर्थिक आयोग के सहारे से नव-उपनिवेशवाद पर्याप्त सफलता पा रहा है और उसमें भारत सरकार जानबूझकर या बिना जानबूझकर अपना सहयोग दे रही है।

यह मामला हमारी विदेश नीति के उद्देश्यों से सम्बन्धित है और हमें इस मामले पर अधिक गम्भीरता से विचार करना है। "इकानामिक वीकली" जैसे हमारे पत्र में तो इस बैंक को अमरीकी एशियाई बैंक नाम दिया है। सारे संसार में भारत के विरूद्ध प्रचार है और हमारी प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया जा रहा है कि हम अमरीकी प्रभाव में आ रहे हैं और हम दक्षिणी विएतनाम तथा दक्षिणी कोरिया के रास्ते पर ही चल रहे हैं। इस तरह का करार करना अत्यन्त भयंकर है।

इस लिए मेरी इच्छा तो यह है कि सरकार इस समय इस विधयक को वापस ले ले और उसे अगले अधिवशन में सभा के समक्ष लाये और इस सभा को इस पर विचार करने का पूरा-पूरा अवसर दे।

श्री श्याम लाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : हमारे संसाधन सीमित हैं और यदि हमारे देश को चर्तुमुखी विकास करना है तो हमें उनमें वृद्धि करनी होगी। अत: हमें अन्य देशों से सहायता लेनी होगी। परन्तु जब वे हमें सहायता देते हैं तो उनके भी कुछ हित होते है। सहायता स्वीकार करते समय हमें केवल यह बता ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी राजनीतिक, आन्तरिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता सुरक्षित है। यदि सहायता स्वीकार्य है तो कोई कारण नहीं है कि उस पर कोई आपत्ति उठाई जाये। एशियाई बैंक सम्बन्धी करार केवल व्यापार सम्बन्धी एक करार है और कछ नहीं।

चुंकि हमने बैंक की कुल अदत पुँजी का लगभग दसवां भाग इसमें लगाया है, अत: निदेशकों के बोर्ड में भारत के लिए एक स्थायी स्थान होना चाहिए।

मध्य पूव सहित सारे क्षत्र में स्थित देशों को, जोकि पिछड़े हुए हैं, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और अन्य विकास प्रयोजनों के लिएं सहायता प्राप्त करने के लिए कई तरीकों से गठबन्धन करने पर विचार करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से यदि कोई ऐसा अवसर दिया जाता है जिसमें कि बहुत सी वस्तुओं को, जिन्हें हम नष्ट करते हैं बचाया जा सकता है, तो हमें उस अवसर का स्वागत करना चाहिए।

पाकिस्तान के साथ हुए हमारे हाल के संघर्ष में, उन देशों ने जो हमें सहायता दे रहे थे, सहायता रोक ली जिससे हमारी प्रगति को धक्का लगा और हम अपने काम में काफी पीछे रह गये। यदि हमारे लिए कोई ऐसा कोई बैंक उपलब्ध हो तो धन शीघ्र मिल सकेगा।

विभिन्न वस्तुओं के लिए जब भी हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पडगी, तो उस बक में जमा हमारे देश की विदेशी मुद्रा सरलता से उपयोग में लाई जा सकती है।

Shri Tan Singh (Barmer) : I support this Bill. In this connection it has been stated by Shri Mukherjee that we are to much depending upon America and the Western nations. If we really want to do away with this dependence we must have an Asian Bank. World Bank had given up to 1955 the loan seven billion dollars, which increased to 21 billion by 1963. It will definitely affect the very countries of the economy of the developing nations. I do'nt think there is any difficulty in the establishing of this Bank. This Bank will be able to maintain economic and political balance amongst the Asian countries. They will have not to look much towards Western nations.

If today India leaves her despondency, much can be achieved. We should not go on importing, but should concentrate on export. Let me also state that we have been allotted a share of 93 million dollars in the total capital stock of the Bank. I am of the opinion that the only way to avoid dependence on the Western Countries is the establishment of a cooperative Bank for the countries of Asia. It would have been better if we should have asked for a greater share equal to that of Japan. We can easily pay that amount, for that payment have to be made over a period of five years and half of the amount is to be paid in Indian Currency. By doing so, we can also increase our influence in the Asian countries.

Together with that I have also to state that it is very sad that our Government did not take any initiative in connection with the headquarters of the Bank. It would give us a tremendous advantage if we could have kept the headquarter of the Bank in our country. It is really sad that on this issue our Government remained very indifferent. Let me urge that Government should give up her policy of indifference and take active part in the working of the Bank. Manila cannot be the convenient central point.

According to the Agreement there is no definition of development. World Bank was also giving capital for the development of parts. Also there is a great need for technical knowledge and training in the Asian countries. This work can be taken through the Bank. I am of the opinion the construction of the Asian Highway can also be taken up so that there is greater intercourse between the Asian countries. We cannot depend upon western countries for a very long time. Witn this I support the Bill.

श्री मथिया (तिरूनेलवेली) : मैं एशिया विकास बैंक विधेयक का समर्थन करता हूँ। श्री मुकर्जी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों को जो सन्देह हैं, उन्हें मैं निराधार समझता हूँ। यह एशिया के दशों के विकास में सहायक होगा। संसार के देशों में जो स्थिति विश्व बैंक की है वही स्थिति एशिया में एशियाई बैंक की होगी। भारत में भी बहुत सी परियोजनाओं की दृष्टि से इससे काफी लाभ होगा। इस बैंक के निम्न लिखित लक्ष्य होंगे।

(1) बैंक एशिया के विकासशील देशों के आर्थिक विकास के पूर्ण सहयोग देगा।

(2) आर्थिक विकास के लिए देश और देश से बाहर से उपलब्ध साधनों को संगठित किया जायेगा।

(3) यह बैंक भारत के लिए निर्यात को बढ़ाने की दृष्टि से बहुत ही सहायक सिद्ध होगा।

एशिया के विकासशील देशों की आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में यह बैंक एक महत्वपूर्ण कार्य करेगा। भारत को अपनी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के वित्त पोषण और बैंक के सदस्य देशों को निर्यात बढ़ाने और तकनीकी मामलों में सहायता देने में पूरा सहयोग करेगा। इस समय बैंक के 19 सदस्य है। वैसे क्षेत्रीय घेरे से बाहर रह कर ब्रिटेन, अमरीका और केनेडा भी इस बैंक के सदस्य हैं। पूर्वी यूरोप के देश भी इसके सदस्य है। बैंक की कुल पूंजी जो कि अधिकृत है 10000 लाख डालर। एक लाख शेयर है। और एक शेयर 10000 डालर का है। सदस्य देश ये शेयर लेंगे। सारी राशि 5 किश्तों में दी जायेगी और 50 प्रतिशत सोना दिया जायेगा।

क्षेत्रीय देशों का अंशदान 7000 लाख डालर है और अन्य देशों का अंशदान 3000 लाख डालर। जापान का अंशदान सबसे अधिक है। भारत का 465 लाख डालर है। आधी राशि विदेशी मुद्रा में दी जानी है और आधी भारतीय मुद्रा में। बैंक प्रत्येक ऐसे देश को ऋण देगा जो कि इसकी अपेक्षा करेगा। विदेशी मुद्रा में भी वह सहायता करेगा। बैंक के प्रबन्ध के लिए एक निदेशक बोर्ड होगा। प्रत्येक देश को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। बैंक का कार्यालय मनीला

[श्री मुथिया]

में होगा जोकि फिलपाइन की राजधानी है। अन्त में मेरा निवेदन यह है कि यह विधेयक अन्तर्राष्ट्रीय करार के अनुच्छेद, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 और 56 को कानूनी स्वीकृति देता है। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इन शब्दों से मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री म० ना० स्वामी (ओंगोल) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। मेरे विचार में यह सारा विचार एशियाई बैंक के सुझाव के रूप में अमरीका और अन्य पश्चिमी दशों द्वारा दिया गया था। उनका विचार था कि उनकी पसन्द का एक एशियाइ बैंक होना चाहिए, जहां से उन्हें निधियां उपलब्ध हो। भारत तो गुटों से अलग रहा है, परन्तु इस बैंक के 19 सदस्यों में से एक भी देश ऐसा नहीं जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा साथ दिया हो। उन्होंने कभी भारत का समर्थन नहीं किया। उन्होंने केवल आंग्ल-अमरीकी साम्राज्यवाद का ही साथ दिया है।

कैनेडा, ब्रिटेन और अमरीका गर-क्षेत्रीय देश है। अमरीकी सहायता का हमें अनुभव है। पश्चिमी देश खाद्य, शिक्षा, तकनीकी जानकारी और अन्य मंत्रणा के नाम में अफ्रीकी-एशियाई देशों में अपना प्रभाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गत दो या तीन महीनों में विभिन्न एशियाई देशों में हमारा यह अनुभव रहा है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

एक अन्य बात की ओर मैं सभा का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। पश्चिमी जर्मनी सभी प्रकार के साधनों से अरब राष्ट्रों के विरूद्ध इजराइल को सहायता दे रहा है। यह बात भी सामने आ चुकी है कि पश्चिमी जर्मनी पाकिस्तान को भी शस्त्र तथा गोलाबारूद द रहा है। यह दूसरी सब से बड़ी गैर-क्षेत्रीय शक्ति है जो कि इस बैंक की पूंजी में अपना अंशदान दे रही है। इन हालत में मेरा यह विचार है कि यह योजना देश हित की दृष्टि से खतरनाक योजना है।

कोई समाजवादी देश इस योजना में सम्मिलित नहीं हुआ। वसे समाजवादी देश एशिया और अफ्रीका के देशों को विकास कार्यों में सहायता दे रहे हैं। पर वे एशियायी विकास बैंक में सम्मिलित नहीं हुए हैं। वे जानते हैं कि इस देश से सुदूर-पूर्व और एशियाई देशों के विकास में इस बैंक से कोई सहायता नहीं मिलेगी। यही कारण है कि यद्यपि समाजवादी गुट के देश व्यक्तिगत रूप से एशियाई देशों को सहायता दे रहे है, व बैंक के सदस्य नहीं बने है।

इसी प्रकार अल्प विकसित देशों के साथ उचित व्यापार कर के विदेशी मुद्रा अर्जित करना चाहते है। वे चाहते है कि उनकी प्राथमिक वस्तुओं के उन्हें उचित मल्य मिलें। परन्तु विकसित पश्चिमी देश उनको कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहे है। कम्बोडिया जैसे कुछ एशियाई देश को सन्देह है कि क्या बैन्क का कार्य पूर्ण रूप से केवल आर्थिक आधार पर ही किया जायगा। इसका प्रभाव सामाजिक क्षेत्र में भी होने लगेगा। हमारे धर्म और शिक्षा पर भी उसी प्रकार प्रभाव डालने का प्रयास किया जायेगा, जैसे आते ही अंग्रेजों ने कालिज और विश्वविद्यालय आरम्भ करके डालने का प्रयास किया था।

श्री व० बा० गांधी (बम्बई नगर मध्य दक्षिण) : इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय करार को कार्यान्वित करके एशिया विकास बैन्क की स्थापना की जाय। यह कुछ आश्चर्य की बात है कि इस समय यह मतभेद उठाया गया है जब कि यह बैंक अभी अस्तित्व में ही नहीं आया और न ही इसने अपना कार्य आरम्भ किया, जिससे इसकी त्रुटियों या अच्छी बातों का पता चल सके। अभी कुछ भी कहना समय से पूर्व ही होगा इसलिये विधेयक का स्वागत तथा समर्थन किया जाना चाहिये।

भारत का अंशदान 2 करोड़ 32 लाख 50 हजार डालर (भारतीय मुद्रा में) होगा। क्योंकि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। यह उचित ही है कि बैंक को इस कारण हानि से बचाने के लिए कोई व्यवस्था की जाय।

इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के लिए दी जाने वाली उन्मुक्तियां, छूट विशेषाधिकार तथा प्रतिष्ठा आदि वास्तव में प्रथा के अनुसार ही है। अन्य देशों में, जिनमें यह बैंक कार्य करेगा, भी उसे ऐसी उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार दिये जायेंगे।

इस क्षेत्र के जिन देशों मे बैंक कार्य करेगा वे समृद्ध देश नहीं है और उनकी बचत की क्षमता भी सीमित है इसलिये यह आवश्यक है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस क्षेत्र के बाहर के देशों से अधिक मात्रा में विकास धन आने दिये जाये। यह प्रयोग क्षेत्रीय सहयोग द्वारा किया जायेगा और यह हर्ष की बात है कि नई संस्था इस दिशा में काफी जागरूक है।

नई संस्था का एक उद्देश्य विदशी व्यापार में सुव्यवस्थित ढंग से वृद्धि करना है, विशेषकर अन्तरदेशीय व्यापार में। क्योंकि इन देशों में व्यापार वृद्धि की संभावनायें बहुत अधिक है। खेद है कि सहकार की भावना के अभाव से एशियायी देशों के बीच गत दस वर्षों में आपसी व्यापार कुल व्यापार के 40.6 प्रतिशत से घट कर 37.6 हो गया है।

यह प्रश्न कि क्या नया बैंक नर्म शर्तों पर ऋण देगा अथवा कड़ी शर्तों पर, समय से पूर्व होगा। परन्तु यह कहा जा सकता है कि बैंक को न तो अधिक उदार होना चाहिये और न ही अनुचित रूप से अनुदार ही होना चाहिये। उसकी नीति विवकपूर्ण और भविष्य का ध्यान रखने वाली होनी चाहिये और मुझे खुशी है कि उसकी नीति ऐसी ही है।

श्री ब० रा० भगत : एशियाई विकास बैंक एक एशियाई बैंक है और यह एशियाई देशों के प्रयत्नों से ही अस्तित्व में आया है और यह कहना गलत है कि यह अमरीकी-एशियाई बैंक है या इस बैंक पर अमरीकी प्रभाव अथवा अधिकार रहेगा। हमने आर्थिक सहयोग के सिद्धान्त को स्वीकार कर रखा है और क्योंकि हम स्वतंत्र निरपेक्ष नीति का अनुसरण करते हैं, इसलिये हम ने अपने हितों और सम्मान को बनाये रखकर सभी देशों से सहायता स्वीकार की है।

एशियायी विकास बैंक के बारे में विभिन्न देशी अथवा विदेशी समाचार पत्र-पत्रिकाओं में टिप्पणियां छपी है जिनमें विभिन्न दृष्टिकोणों को अभिव्यक्त किया गया है। यह बैंक इसी प्रकार के आर्थिक सहयोग के लिये इस क्षेत्र के देशों के बीच एक नई एजेन्सी है। यह बैंक पूर्णतया एशियाई बैंक है जिसका पूरा प्रबन्ध एशियाइयों के हाथ में होगा। बाहर को पूंजी इसी लिये लगाई जायेगी क्योंकि एशिया में धन का अभाव है और पूंजी के लिये द्विपक्षीय बातचीत के स्थान पर ऐसी एजेन्सी के द्वारा बातचीत करना कहीं अच्छा है क्योंकि राजनैतिक मतभेदों का प्रभाव इस प्रकार सबसे कम पड़ता है।

यह बैंक एशिया तथा दूर-पूर्व के देशों के प्रयासों का फल है जिसका पूरा प्रबन्ध उन्हीं के हाथ में होगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि भारत प्रशासकीय निदेशकों के बोर्ड में भी नहीं है तो मेरा निवेदन है कि यह बैंक विश्व बैंक से भिन्न है और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों से भी भिन्न है परन्तु हो सकता है कि इस प्रकार हमें अधिक लाभ हो क्योंकि यह बैंक बनाते समय एशियाई राष्ट्रों को पहले बने इसी प्रकार के बैंकों के अनुभव से लाभ उठाना है।

बैंक के निदेशक निर्वाचित होंगे और भारत अपनी शेयर पूंजी तथा मत देने के अधिकार के आधार पर किसी भी चुनाव में अपना निदेशक निर्वाचित करा सकता है। जहां यह अधिकार 20 प्रतिशत तक सभी सदस्यों को बराबर का दिया गया है वहां 80 प्रतिशत तक अधिकार शेयर पूंजी के अनुपात से होंगे। इस द्वारा अधिक पूंजी लगाने वाले देशों की तुलना में इस क्षेत्र के छोटे देशों को अधिक लाभ होगा। भारत की 8·67 प्रतिशत मताधिकार होन के नाते सदा ही

[श्री ब० रा० भगत]

अपना एक निदेशक निर्वाचित करने का अधिकार होगा। क्योंकि एक निदेशक के निर्वाचन के लिये केवल 6.884 प्रतिशत मतों की आवश्यकता होगी।

जैसा मैंने पहले कहा सभी दशों को प्रतिनिधित्व का अधिकार होगा और किसी भी गुट को प्रभावी होने की आशंका नहीं है।

सभी देश इस बारे में एकमत हैं कि बक का कार्य केवल आर्थिक और तकनीकी आधार पर ही किया जाये और इस प्रकार की संस्था में राजनीती का कोई स्थान नहीं होना चाहिये। इसलिये जो शंकायें व्यक्त की गई हैं वे निराधार हैं। मेरा विश्वास है कि यदि बैंक की स्थापना में प्रबंधक तकनीकी आदि प्रादेशिक ज्ञान का उपयोग किया गया और योजनाओं को, उनकी आवश्यकता, उपयोगिता तथा उनके गुणों आदि को ध्यान में रखकर ऋण दिया गया तो यह बैंक इस क्षेत्र के आर्थिक सहकार में महत्वपूर्ण योगदान देगा जिसकी इसे बहुत आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को पारित करने की सिफारिश करता हूं।

श्री म० ना० स्वामी (ओंगोल) : साम्यवादी गुट के देशों, विशेषकर सोवियत रूस का इसके प्रति क्या दृष्टिकोण है ?

श्री ब० रा० भगत : यद्यपि रूस इसमें शामिल नहीं हुआ परन्तु उसने बैंक को रचनात्मक सहयोग देने की पेशकश की है और संभव है कि कुछ देश बाद में शामिल हो जायें। अंश पूंजी में वास्तविक रूप से भाग लेने के लिये उनकी अपनी संवैधानिक तथा अन्य कठिनाइयां है फिर भी उन्हों ने बैंक में शामिल होने के लिये अपने लिये द्वार बन्द नहीं किये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना और कार्य करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय करार को कार्यान्वित करने तथा तत्संबंधी विषयों सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : क्यों कि किसी भी खण्ड पर कोई संशोधन नहीं है इसलिये मैं इन्हें इकट्ठे मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 7 और अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 2 से 7 और अनुसूची विधयक में जोड़ दिये गये।/ *Clauses 2 to 7 and the Schedule were added to the Bill.*

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।/*Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.*

श्री ब० रा० भगत : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं मंत्री महोदय को एक चेतावनी देना चाहता हूं। वह शायद नहीं जानते कि प्रधान जानसन की नाटकीय घोषणा का मनोरथ क्या है? मैं मताधिकार संबंधी व्याख्या पर भी संतुष्ट नहीं हूं और मुझ खेद है कि उन्होंने मेरे कई सुधारों को नहीं माना है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

दिल्ली प्रशासन विधेयक—जारी
DELHI ADMINISTRATION BILL—*contd.*

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री हाथी) : श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली के संघराज्य क्षेत्र के प्रशासन तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं। अब सभा आधे घंटे की चर्चा पर विचार करेगी।

क्षेत्रों के नगरीयकरण के बारे में आधे घंटे की चर्चा
HALF-AN-HOUR DISCUSSION RE: URBANISATION OF AREAS

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं यह चर्चा तारांकित प्रश्न संख्या 1109 के उत्तर में 14 अप्रैल, 1966 को मंत्री महोदय द्वारा दिये गये असंतोषजनक वक्तव्यों के परिणामस्वरूप उठाना चाहता हूं। सरकार की ओर से हमें केवल एक ही पत्र प्राप्त हुआ था जो कलकत्ता महानगर योजना संगठन द्वारा तैयार किया गया था। परन्तु अब हमें कलकत्ता की विभिन्न समस्याओं के बारे में कोई सूचना नहीं है। उस पत्र से तो लगता है कि शेष भारत में कलकत्ता के प्रति वमनस्य की भावना है। श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने इस नगर के बारे में कहा था कि भारत जो बात कल सोचता है, कलकत्ता आज सोचता है।

हां, कलकत्ता की कई समस्यायें हैं—यहां महलों के साथ साथ झुग्गियां भी बढ़ी है और इस सीमा तक बढ़ी है कि जीवन लगभग असंभव सा हो गया लगता है।

कलकत्ता महानगर योजना संगठन ने कुछ बातें कीं, जैसे वहां पर यातायात का अध्ययन, तथा कुछ योजनाएं बनाई, जैसे हुगली नदी पर एक दूसरा पुल बनाने की योजना, शहरी क्षेत्र के पुनर्गवीकरण की योजना आदि। परन्तु ये पूरी नहीं की गई और बहुत सी समस्याएं बिना हल किये रह गईं। पश्चिमी बंगाल की सरकार को केन्द्र ने 6 करोड़ रुपये कलकत्ते में बस्तियों, गंदे स्थानों के सुधार के लिए दिये हैं पर ऐसा प्रतित होता है कि राज्य सरकार इस धन को व्यय न कर सकी। 72 इंची जल-पाइप पानी की सप्लाई में सुधार करने के लिय लगाये गये परन्तु पता चला वहां पानी तो उपलब्ध हो नहीं था। वहां पर भूमि ग्रहण की तथा भूमि से प्राप्त होने वाली आय की कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं है।

कलकत्ते की स्थिति इस कारण से खराब है कि दूसरे राज्यों से 55 लाख आदमी जो खाद्य उत्पादन में संलग्न नहीं है, पश्चिमी बंगाल में आये हुए हैं।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

घटिया किस्म की और भीड़-भाड़ वाली परिवहन व्यवस्था, अपर्याप्त जल सम्भरण तथा मल निस्सारण व्यवस्था और भूमि के अत्यधिक मूल्य कलकत्ता के विकास म बाधा हैं। हुगली नदी सूख रही है और आयात तथा निर्यात की दुर्दशा, व्यापार के लिये काम आने वाले पत्तन के बुरी हालत में होने के कारण कलकत्ता की स्थिति और भी खराब हो रही है। वहाँ पर कुछ दीर्घ कालीन परियोजनाएं जसे फरक्का परियोजना बनाई गई है परन्तु पता नहीं कि वह कब पूरी होगी और उससे कोई फल प्राप्त होगा। हल्दिया पत्तन के बारे में आवश्यक कुछ प्रगति हुई है ।

कलकत्ता में वृत्ताकार रेलवे बनाने का काम सदा से टाला जा रहा है और भूमिगत रेलवे बहुत अधिक व्यय होने के कारण शायद बनाई नहीं जा सकती । हुगली पर दूसरे पुल के बारे में प्रगति बहुत धीमी है और फटबाल के लिये स्टडियम बनाने में भी विलम्ब किया जा रहा है। हम प्रत्येक बात के लिय विदेशी विशेषज्ञ चाहत हैं और उसका परिणाम यह है कि प्रत्येक बात को लम्बी अवधि के लिय टाला जा रहा है।

शिक्षा के बारे में स्थिति बहुत निराशाजनक है। जिन बच्चों की उम्र स्कूल जाने की है उनमें से 50 प्रतिशत बच्चों को स्कूल की सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। जन संख्या में वृद्धि की वर्तमान दर से कलकत्ता में अगले 20 वर्षों के लिये प्रतिवर्ष एक सौ स्कूलों का निर्माण करना होगा और उन स्कूलों में दो पारियां रखनी होंगी ?

इसलिये कलकत्ता के बारे में कुछ करना बहुत आवश्यक है। विचित्र बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि इस सम्बन्ध में अधिक कार्य करने की आवश्यकता है परन्तु कोई ऐसा करने के लिये तैयार नहीं है। कलकत्ता के प्रति उत्तरदायित्व के बारे में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य में स्थायी संघर्ष समाप्त होना चाहिये और उस नगर की, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य के लिये अन्तर्राष्ट्रीय खतरा बताया है, कुछ सहायता की जानी चाहिये। सरकार को कलकत्ता के प्रति, उसके वामपक्षी विचारों के कारण, लापरवाह नहीं होना चाहिये ।

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : मैं मानता हूं कि औद्योगिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, हर दृष्टि से कलकत्ता हमारा प्रमुख नगर है और वहां पर समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं। परन्तु इस कारण से उसके प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है कि वहां पर वामपक्षी विचारों के लोग अधिक हैं। मैं राज्य सरकार को इस बारे में कहता रहता हूं कि कलकत्ता की समस्याएं हल करने के लिये उसे जो भी सम्भव हो करना चाहिए और भारत सरकार यथा-सम्भव सहायता करेगी परन्तु इसके साथ ही कलकत्ता निगम के संसाधन भी जुटाने होंगे। हाल में इस समस्या का अध्ययन किया गया था परन्तु इस बारे में मुझे अभी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

दूसरे, कलकत्ता की बहुत सी समस्याओं को हल करने के लिये यह आवश्यक है कि या तो विभिन्न प्राधिकार बनाये जायें या विभिन्न विधान बनाये जायें। यदि हम चाहते हैं कि कलकत्ता का विकास इस तरह हो कि समस्याओं को हल करने में सहायता मिले तो तुरन्त नहीं पर कुछ समय के बाद भूमि के उपयोग पर नियंत्रण करना होगा।

यह खेद की बात है कि महानगर जल तथा सफाई प्राधिकार अभी तक स्थापित नहीं किया जा सका। कलकत्ता निगम के अतिरिक्त, 20 अथवा 30 अन्य नगरपालिकाएं हैं जिन्हें एक करना होगा। कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिसके अन्तर्गत वे मिल कर कार्य कर सकें और अपने आप को संगठित कर सकें। बस्ती सुधार विधेयक अभी विचाराधीन है क्योंकि इसके मार्ग

में सभी प्रकार की कठिनाइयां और बाधाएं है। मुझे प्रसन्नता होगी यदि यह विधेयक पास कर दिया जाये।

तीसरी योजना म सत्रह विभिन्न योजनाएं आरम्भ की गई हैं और उन पर लगभग 23.10 करोड़ रुपया व्यय होगा। चौथी योजना में हमें क्या करना चाहिये यह प्रश्न विचाराधीन है। यह स्पष्ट है कि इसके लिये बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी परन्तु इन संसाधनों को प्राप्त करना सरल नहीं है क्योंकि कम विकसित शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों को इसी प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता है। अतः जब तक हम शहरी भूमि की कीम्त की सम्बन्ध में प्रभावशाली कार्यवाही नहीं करेंगे ये संसाधन प्राप्त नहीं किये जा सकते चाहे वह कलकत्ता में, बम्बई अथवा कानपुर में हो।

थोड़े से लोगों के अधिकार में ही शहरी भू-संपत्ति है। यदि ऐसा है तो यह आवश्यक है कि हम कुछ ठोस, विशिष्ट तथा निश्चित कदम उठायें जिससे कि शहरी भू-संपत्ति की कीमतों में वृद्धि से होने वाली अनुपार्जित आय का लाभ ये थोड़े से लोग ही न उठायें वरन इसका फायदा कलकत्ता की जनता को भी मिले। परन्तु उन विधवाओं तथा अनाथ बच्चों के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है जिनके पास कलकत्ता में शहरी संपत्ति है। ठोस कदम तो उन लोगों के बारे में उठाना है जोकि इस शहरी संपत्ति का विनियोजन के रूप में उपयोग कर रहे हैं और उससे पूंजीगत लाभ कमा रहे हैं। हमें आगे की योजनाओं के बारे में सनकी नहीं होना चाहिये। जब तक आपके सामने स्पष्ट स्थिति नहीं है, मेरा विचार है कि तब तक ये सब समस्याएं पांच वर्ष के अन्दर हल नहीं की जा सकती। जैसा कि आपने बताया, पिछली कई दशाब्दियों से कलकत्ता अनियंत्रित रूप में बढ़ा है। यदि इस बढ़ौतरी को नियंत्रित ढंग में लाना है तो हमें उन उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट स्थिति ज्ञात होनी चाहिये जोकि अगले 15–20 वर्षों में प्राप्त करने हैं। इसके लिए हमें पश्चिमी बंगाल की सरकार तथा भारत सरकार पर सारा बोझा डालना पर्याप्त न होगा वरन् कलकत्ता में ही उपलब्ध संसाधनों को जुटाना पड़ेगा। इसके लिये जिन करों में वृद्धि करना है उनमें वृद्धि करने की आवश्यकता है और इन बढ़े हुए करों को उगाहने में कम से कम व्यय करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा समाप्त हुई। सभा सोमवार के 11 बजे म०पू० तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 16 मई, 1966/24 वैशाख, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, May 16, 1966/ *Vaisakha* 24, 1888 (*Saka*).

GIPN—S V—76 L. S./66—30-10-67—565.